घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 319- सोमवार 21- सितम्बर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

आसमान में गूंजी भारत-जापान की दोस्ती
तेजस में साथ उड़े दोनों वायु सेना प्रमुख

जोधपुर,20 सितम्बर 2026। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन से रविवार को भारत-जापान के मजबूत होते रक्षा संबंधों की एक यादगार तस्वीर सामने आई। भारत और जापान के बीच चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास 'वीर गार्जियन-2026' के दौरान दोनों देशों के वायु सेना प्रमुखों ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरकर आसमान में अपनी साझेदारी का नया अध्याय लिखा। भारतीय वायु सेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने सोलो उड़ान भरते हुए तेजस विमानों के फॉर्मेशन का नेतृत्व किया। जापान एयर एंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोरिता ताकेहिरो ने ग्रुप कैप्टन आई. सम्राट के साथ सह-पायलट के रूप में तेजस में उड़ान भरी। उड़ान से पहले दोनों वायु सेना प्रमुखों ने एक-दूसरे का अभिवादन किया और अपने-अपने विमानों की ओर बढ़े। उड़ान के दौरान जनरल मोरिता को भारतीय तेजस की आधुनिक प्रणालियों और

परिचालन क्षमताओं का अनुभव मिला। दोनों विमानों ने एयरफील्ड के ऊपर फ्लाई-पास्ट किया और इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुरक्षित लैंडिंग की। लैंडिंग से पहले विमानों ने फॉर्मेशन से अलग होकर अपनी-अपनी स्थिति संभाली। जनरल मोरिता ने तेजस में उड़ान के अनुभव को शानदार बताते हुए इसे भारत के तकनीकी नवाचार का प्रतीक बताया। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने संयुक्त अभ्यास को दोनों वायु सेनाओं के बीच विश्वास, अनुभव साझा करने और एक-दूसरे से सीखने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। भारत और जापान के बीच 'एक्स वीर गार्जियन' का दूसरा संस्करण जोधपुर में 9 सितंबर से चल रहा है और 22 सितंबर तक जारी रहेगा। अभ्यास में जापान के त्सुइकी एयरबेस से आए एफ-2 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया है। भारतीय वायु सेना की ओर से सुखोई-30 एमकेआई, तेजस और राफेल जैसे अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान अभ्यास में शामिल हैं। अभ्यास के दौरान दोनों देशों के पायलट विभिन्न जटिल युद्धक अभियानों का प्रशिक्षण ले रहे हैं और अपने परिचालन अनुभव साझा कर रहे हैं। दोनों वायु सेना प्रमुखों ने भविष्य में संयुक्त प्रशिक्षण, परिचालन रणनीति और विशेषज्ञता साझा करने पर भी जोर दिया। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन होना भारत-जापान रक्षा साझेदारी के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि साथ उड़ान भरने, प्रशिक्षण लेने और अभ्यास करने से दोनों देशों की वायुसेनाओं को एक-दूसरे की कार्यप्रणाली समझने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का अवसर मिलता है।

दोनों देशों की क्षमता को बढ़ाएगा यह युद्धाभ्यास

भारतीय वायुसेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने कहा...यह युद्धाभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच गहरे विश्वास और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण है। यह दोनों वायुसेनाओं के एक-दूसरे पर बहुत उच्च स्तर के विश्वास को दर्शाता है। जब हम एक साथ अभ्यास करते हैं,तो एक-दूसरे से सीखते हैं, एक साथ उड़ते हैं और प्रशिक्षण लेते हैं, जिससे दोनों पक्ष एक साथ आगे बढ़ते हैं। मैं आश्वस्त हूं कि यह दोनों पक्षों की क्षमताओं को बढ़ाएगा। एपी सिंह ने कहा...मैं अगले महीने रिटायर होने वाला हूं। उन्होंने कहा कि जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन होना भारत-जापान संबंधों और हमारी साझेदारी के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है।

ईशान आनंद को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
आकाश आनंद और उनकी बहन को पार्टी में नहीं लिया जाएगा वापस : मायावती

लखनऊ,20 सितम्बर 2026। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि आकाश आनंद और उनकी बहन को पार्टी में किसी भी हालत में वापस नहीं लिया जाएगा। यदि भाई आनंद के परिवार से किसी को अगर पार्टी में शामिल करना होगा तो ईशान आनंद को सम्मानजनक ज़िम्मेदारी देकर इनको आगे किया जायेगा। अगर ईशान ने पार्टी विरोधी कोई भी गम्भीर कृत्य किया तो फिर इनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जायेगा। बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स पर एक विस्तृत बयान जारी कर पार्टी संगठन और उत्तराधिकार को लेकर कई बड़े फैसलों का ऐलान किया है। उन्होंने लिखा,मैं अपने अनुभव से पार्टी के लोगों से यह कह रही हूं कि यदि राजनीति में कामयाब होना है और समाज के लिए कुछ करना है तो उन्हें मेरी तरह अपने परिवार के मोह से ऊपर उठकर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से पार्टी के लिए कार्य करना होगा। उन्होंने पार्टी के संस्थापक कांशीराम की राजनीति का जिक्र करते हुए कहा कि उनके राजनीति में आने के बाद उन्होंने अपने सभी नज़दीकी रिश्ते-नातों आदि को राजनीतिक लाभ देने से हमेशा दूर रखा है। उन्हें केवल निःस्वार्थ भावना से पार्टी संगठन में कार्य करने की ही इजाज़त दी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िन्दगी, अपना खुद का परिवार ना बनाकर,बहुजन समाज के हित व कल्याण के लिए ही समर्पित की। उनसे प्रेरित होकर फिर मैंने भी उन्हीं के ही पदचिन्हों पर चलने का फैसला लिया और अपनी पूरी ज़िन्दगी 'बहुजन समाज' के लिए समर्पित कर दी है।

महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अल्ट्रा लाइट होवित्जर ने सटीक फायर पावर दिखाई...

नई दिल्ली,20 सितम्बर 2026। भारत और अमेरिका के बीच उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास 'युद्ध अभ्यास' के दौरान दोनों सेनाएं अपनी-अपनी युद्धक क्षमताएं दिखा रही हैं। इसी क्रम में भारतीय एम-777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर (यूएलएच) से लाइव फायरिंग की गई, जिसमें पेशेवर और सटीकता के साथ लड़ाई की तैयारी

दिखाते हुए सभी तय लक्ष्यों पर कामयाबी से निशाना साधा गया। फायरिंग के बाद अमेरिकी टुकड़ी ने गन पोजिशन का दौरा किया और यूएलएच बैटरी के अधिकारियों और सैनिकों से बातचीत की। उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 'युद्ध अभ्यास' का 22वां संस्करण 9 सितंबर से चल रहा है, जो 28 सितंबर तक चलेगा इसमें दोनों देशों की सेनाओं से 600-600 (कुल 1200) सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। अभ्यास की मुख्य फोकस उच्च पर्वतीय युद्धकला,आतंकवाद-रोधी ऑपरेशन,ड्रोन-रोधी क्षमताएं, रोबोटिक डॉग्स और आधुनिक तकनीक का समन्वय करना है। साथ ही दोनों सेनाओं के बीच परिचालन अंतर-संचालनीयता और सामरिक तालमेल को मजबूत करना है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसी 'युद्ध अभ्यास' के दौरान एम-777 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर से लाइव फायरिंग की गई, जिसमें डायरेक्ट फायरिंग तरीके का इस्तेमाल करके लाइन ऑफ साइट पर मौजूद टारगेट पर निशाना साधा गया।

चीन को हराकर भारत बना चैंपियन,छत्तीसगढ़ की मधु सिदार ने बढ़ाया देश का मान...

जशपुर,20 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ की बेटियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने जूनियर एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में चीन को 1-0 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत में छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी गीता यादव और मधु सिदार की अहम भूमिका रही। भौगोलिक संदर्भ खिताबी जीत के बाद जशपुर की बेटी मधु सिदार जब अपने गृह ग्राम चीड़ोरा पहुंचीं, तो कांसाबेल चौक पर उनका जोरदार स्वागत

किया गया। जनप्रतिनिधियों, खेल प्रेमियों और ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों के साथ मधु का स्वागत कर उनकी उपलब्धि पर खुशी जताई। स्वागत समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय,जशपुर हॉकी टीम के अध्यक्ष वाल्टर कुजूर,उपाध्यक्ष संतोष चौधरी,मधु सिदार के माता-पिता समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मधु सिदार ने जूनियर एशिया कप के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चार गोल किए। उन्होंने पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ दो-दो गोल दागे। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा और टीम ने बिना कोई मुकाबला गंवाए खिताब पर कब्जा किया। इस जीत के साथ भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने 2027 जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है। लगातार तीसरी बार एशिया कप का खिताब जीतना भारतीय महिला हॉकी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

वाराणसी में 30 लाख के इनामी नक्सली कमांडर का एनकाउंटर,पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में मारा गया...

वाराणसी,20 सितम्बर 2026। उत्तर प्रदेश एटीएस ने रविवार सुबह वाराणसी में मुठभेड़ के दौरान झारखंड के प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी के कमांडर बृजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक, बृजेश पर कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वह लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की तलाश में था। पुलिस के अनुसार,बृजेश अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से टेंगरा मोड़ होते हुए रामनगर की ओर से मुगलसराय जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस और यूपी एटीएस की टीम ने रामनगर थाना क्षेत्र के लंका मैदान के पास उसे रोकने की कोशिश की। पुलिस का दावा है कि बृजेश बाइक से कूदकर

फायरिंग करते हुए भागने लगा। इसके बाद पुलिस और एटीएस की टीम ने जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग में बृजेश को गोली लगी और वह घायल हो गया। टीम उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी एटीएस के डिप्टी एसपी विपिन राय और हेड कांस्टेबल नितेंद्र कृष्ण भी फायरिंग की चपेट में आए।

दिल्ली एसआईआर के बाद बड़ा झटका : आडवाणी, सिसोदिया और केजरीवाल समेत 33 लाख मतदाताओं को नोटिस, सूची में सिब्बल भी

नई दिल्ली,20 सितम्बर 2026। विशेष गहन पुनरीक्षण (एस आई आर) प्रक्रिया के तहत दिल्ली में एक बड़ा मामला सामने आया है। निर्वाचन आयोग द्वारा विवरणों में कथित विसंगतियों के कारण नोटिस पाने वाले 33 लाख मतदाताओं की सूची में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जैसी कई प्रमुख हस्तियों के नाम भी शामिल हैं।

लालकृष्ण आडवाणी, बेटी और बहू को नोटिस : 98 वर्षीय आडवाणी, उनकी बेटी प्रतिभा और बहू गीतिका को नोटिस जारी किए गए हैं,क्योंकि उनके नाम 2002 के विशेष गहन पुनरीक्षण (एस आई आर) मतदाता सूची से मेल नहीं खा पाए। हालांकि,उनके बेटे जयंत इस मैपिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। ये सभी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं।

मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी और बेटे को नोटिस : आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी सीमा और उनके बेटे मीर को भी नोटिस मिला है। अधिकारियों के अनुसार, बेटे मीर के नोटिस में माता-पिता के नाम में विसंगति और पत्नी सीमा के नोटिस में उनके अपने नाम में बेमेल का कारण बताया गया है।

सूची में और कौन-कौन? इस सूची में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के नाम भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि दस्तावेजों के सत्यापन के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रविष्टि को मान्य कर दिया गया है और शालीमार बाग निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची (जो 4 नवंबर को प्रकाशित होगी) में उनके नाम को शामिल करने के लिए सुरक्षित कर लिया गया है।

एसआईआर प्रक्रिया और आगे की समय-सीमा

30 जून से 17 अगस्त के बीच चलाए गए घर-घर सत्यापन अभियान के दौरान प्रत्येक मतदाता को एक गणना फॉर्म जमा करना आवश्यक था। मसौदा सूचियों में शामिल लगभग 97 लाख मतदाताओं में से 33.13 लाख मतदाताओं को उनके फॉर्म में विसंगतियों के चलते नोटिस के लिए चिह्नित किया गया है, जिसमें से अब तक 31.63 लाख से अधिक नोटिस दिए जा चुके हैं।

रायपुर में 50 करोड़ की खौफनाक रंगदारी! बिश्नोई गैंग के नाम से ढेबर परिवार को धमकी,एक्शन में पुलिस..

रायपुर,20 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ढेबर परिवार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से फोन पर 50 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। अज्ञात कॉलर ने अनवर ढेबर और एजाज ढेबर का नाम लेकर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। सिविल लाइन थाना इलाके से जुड़ी इस घटना की लिखित शिकायत मिलने के बाद रायपुर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है।

कर्मचारी के फोन पर आई कॉल, बिश्नोई गैंग का दिया हवाला : जानकारी के अनुसार, आरोपी ने ढेबर परिवार के एक कर्मचारी के मोबाइल फोन पर कॉल की थी। फोन करने वाले ने खुद को बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया और अनवर ढेबर व एजाज ढेबर का जिक्र करते हुए

50 करोड़ रुपए की मांग रखी। रकम न देने की सूरत में अंजाम भुगतने की बात कही गई।

तकनीकी सबूत जुटाने और कॉल लोकेशन ट्रेस करने में जुटी पुलिस : मामला सामने आने के बाद पुलिस की विशेष टीमें उस मोबाइल नंबर की टेक्निकल जांच में जुट गई हैं, जिससे कॉल की गई थी। पुलिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन और अन्य टैक्टिकल साक्ष्यों को खंगाल रही है ताकि यह साफ हो सके कि कॉल किस जगह से की गई थी और इसके पीछे कौन-कौन शामिल हैं।

गैंग का असली कनेक्शन या निजी रंजिश? हर एंगल से हो रही पड़ताल : पुलिस फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि धमकी देने वाला सचमुच किसी संगठित गिरोह का हिस्सा है या फिर सिर्फ गैंग के नाम का इस्तेमाल कर डराने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही व्यक्तिगत रंजिश या किसी अन्य विवाद की आशंका को भी जांच में शामिल किया गया है।

सुरक्षा और पुख्ता सबूतों पर पुलिस की नजर : घटना के बाद ढेबर परिवार की सुरक्षा को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी जांच और परिवार से ली गई जानकारी के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिशें जारी हैं। पुख्ता सबूत मिलते ही मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री साय ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से की सौजन्य भेंट

छत्तीसगढ़-ओडिशा के आपसी सहयोग,विकास और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा

रायपुर,20 सितम्बर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज ओडिशा प्रवास के दौरान भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से उनके निवास पर सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री माझी ने साय का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच छत्तीसगढ़ और ओडिशा के आपसी सहयोग,विकास एवं जनकल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा पड़ोसी राज्य होने के साथ ही सामाजिक,सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच भी आत्मीय संबंध हैं। विकास और जनकल्याण से जुड़े विषयों पर दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से नागरिकों को लाभ मिलने के साथ ही पूरे क्षेत्र की प्रगति को भी नई गति मिलेगी।

दुर्ग में गुटखा फैक्ट्री पर सेंट्रल जीएसटी की रेड
3 गाड़ियों में पहुंची 12 सदस्यों की टीम,2 मशीनें और 30 बोरा गुटखा जब्त

दुर्ग-भिलाई,20 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सेंट्रल जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने रविवार को छापा मारा। कुम्हारी के स्टेशन चौक इलाके में एक फैक्ट्री के अंदर सितार कंपनी का गुटखा बनाया जा रहा था। इस दौरान गुटखा बनाने में इस्तेमाल होने वाली 2 मशीनें और करीब 30 बोरा गुटखा जब्त किया गया है। जीएसटी अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि,गुटखा निर्माण और उसकी बिक्री से जुड़े कारोबार में टैक्स संबंधी नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं। इसके अलावा गोदाम में रखे बाकी सामान और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। हालांकि, अभी अधिकारियों से कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। जानकारी के मुताबिक, सेंट्रल जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम को कुम्हारी के स्टेशन चौक क्षेत्र में अवैध रूप से गुटखा तैयार किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर

रविवार को 10 से 12 सदस्यों की टीम 3 वाहनों में मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने गोदाम के भीतर रखे सामान और गुटखा बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की जांच की। इस कार्रवाई के दौरान टीम ने गुटखा बनाने वाली दो मशीनों को जब्त किया। इसके अलावा मौके से करीब 30 बोरा तैयार गुटखा भी बरामद किया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, जब्त सामान की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। हालांकि जब्त सामग्री की वास्तविक कीमत और उस पर लगने वाले टैक्स से संबंधित विस्तृत जानकारी कार्रवाई पूरी होने के बाद सामने आने की संभावना है।

सुरेश गुप्ता का बताया जा रहा गोदाम

जानकारी के अनुसार, जिस गोदाम से गुटखा जब्त किया गया है,उसके मालिक का नाम सुरेश गुप्ता बताया जा रहा है। सेंट्रल जीएसटी की टीम गोदाम में मौजूद दस्तावेजों और बाकी सामग्री की भी जांच कर रही है।

जब्त सामान लेकर रायपुर रवाना हुई टीम

इस कार्रवाई के बाद सेंट्रल जीएसटी की टीम जब्त की गई मशीनों और गुटखे को अपने साथ लेकर रायपुर के लिए रवाना हुई। सामग्री की जांच और दस्तावेजों के मिलान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ राज्य सम्मान 13 क्षेत्रों की दिग्गज प्रतिभाओं को मिलेगा अलंकरण,5 अक्टूबर तक करें आवेदन

रायपुर,20 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग द्वारा विभिन्न कला,साहित्य,संस्कृति एवं सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को प्रदान किए जाने वाले राज्य सम्मान 2026 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। विभाग द्वारा स्थापित 12 राज्य स्तरीय सम्मान एवं 1 राष्ट्रीय सम्मान के लिए निर्धारित प्रारूप में 5 अक्टूबर 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयनित प्रतिभाओं को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित 'राज्योत्सव 2026' के राज्य अलंकरण समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

आवेदन और पात्रता की प्रक्रिया

राज्य सम्मान के लिए इच्छुक पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में अपनी प्रविष्टियां प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन में आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि एवं आयु के साथ प्रस्तावक का विवरण तथा आवेदक की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा देना होगा। आवेदक द्वारा पूर्व में प्राप्त सम्मान एवं पुरस्कारों की जानकारी भी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी,जिसमें अंतर्राष्ट्रीय,राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला स्तर के पुरस्कार शामिल हैं। शासकीय सेवा में कार्यरत

आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति पत्र संलग्न करना होगा। संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 2026 के लिए विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया जाएगा। पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान हिन्दी साहित्य के लिए, दाऊ मंदराजी सम्मान लोक नाट्य एवं लोक शिल्प के लिए तथा चक्रधर सम्मान शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य के लिए प्रदान किया जाएगा।

इसके अलावा देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार,लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार,हबीब तनवीर सम्मान,लक्ष्मण मस्तुरिया सम्मान और खुमान साव सम्मान जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार विभिन्न कला क्षेत्रों में दिए जाएंगे।

संपादकीय

रोजगार की चुनौती

प्रधानमंत्री ने बीसवें रोजगार मेले में इक्यावन हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए यह प्रतिबद्धता जताई कि उनकी सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए हर मोर्चे पर काम कर रही है। यह सही है कि मोदी सरकार ने 2022 में पहले रोजगार मेले की शुरुआत करते हुए 2023 के अंत तक दस लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य तय किया था और अभी तक 12.75 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं।

यह स्वाभाविक है कि यह सिलसिला कायम रहेगा,लेकिन सच्चाई यह भी है कि सभी युवाओं को सरकारी नौकरियां देना संभव नहीं। वास्तव में कोई भी सरकार हो,वह नौकरी के आकांक्षी सभी युवाओं को सरकारी नौकरियां चाहकर भी नहीं दे सकती। इन स्थितियों में यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाएं,जिनसे निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित हो सकें। चूंकि नई तकनीक के आगमन और विशेष रूप से एआइ के कारण नौकरियों की प्रकृति बदल रही है, इसलिए निजी क्षेत्र में भी रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना एक चुनौती बन गया है।

आने वाले समय में यह चुनौती और बढ़ सकती है। यह सही है कि एआई के चलते नौकरियों के जो परंपरागत अवसर खत्म होंगे,उनके स्थान पर नए अवसर उत्पन्न होंगे, लेकिन इन नए अवसरों को भुनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की जो आवश्यकता है,उसकी पूर्ति तो प्राथमिकता के आधार पर की ही जानी चाहिए।

यह ठीक नहीं कि वर्तमान में बड़ी संख्या में छात्र उच्च शिक्षा संस्थानों से ऐसी डिग्रियां लेकर निकल रहे हैं, जिनकी उपयोगिता कम होती चली जा रही है। आने वाले समय में सामान्य डिग्रीधारी छात्रों के लिए रोजगार के अवसर और कम हो सकते हैं। इसे देखते हुए सरकार को शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन के लिए तेजी के साथ कदम उठाने होंगे। यह इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि हाल ही में नीति आयोग की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आठ करोड़ से अधिक युवा ऐसे हैं, जो न तो पढ़ाई कर रहे हैं और न ही कोई कार्य और न ही किसी तरह का प्रशिक्षण ले रहे हैं।

नीति आयोग की रिपोर्ट यह भी कहती है कि केवल 8.25 प्रतिशत स्नातक ही ऐसे काम में लगे हैं,जो उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप है। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने बढ़ते स्टार्टअप और कौशल विकास कार्यक्रमों की चर्चा की,लेकिन नीति आयोग के इस आकलन की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि व्यायसायिक शिक्षा और उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण की कमी के कारण युवाओं की रोजगार क्षमता प्रभावित हो रही है। इसे देखते हुए नीति आयोग के सुझाव के अनुसार रोजगार की क्षमता बढ़ाने के लिए छठी कक्षा से ही छात्रों की अभिरुचि एवं कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए।

शांति के फलक पर मुस्कुराते प्रगति के चित्र

वैयक्तिक एवं वैश्विक सुख,समृद्धि एवं संतुष्टि का आधार शांति है। शांति के अभाव में जीवन नीरसता,अनुत्साह एवं नैराश्य के सघन अंधकार में उद्देश्यरहित हो पथभ्रांत पथिक की भांति भटकता रहता है। युद्ध,हिंसा,अराजकता एवं वैमनस्यता की कलुष कुविचार परिधि में सीमित हुआ मन लोकहित एवं लोकोत्कर्ष के मानवीय वितान की सर्जना से विमुख हो जाता है। व्यक्ति, परिवार एवं समाज के विकास एवं विस्तार के लिए आवश्यक है कि मनसा,वाचा, कर्मणा मानवीय व्यवहार एवं व्यवस्था परिमार्जित हो एवं सुखदायक भी। भारतीय वांग्मय वसुधैव कुटुम्बकं का उद्घोष करते हुए दैहिक,दैविक एवं भौतिक कष्टों से मुक्ति तथा पंच महाभूत तत्वों आकाश,वायु,अग्नि,जल एवं पृथ्वी सहित औषधि,वनस्पति,उपवन,कानन, ग्राम,नगर,समस्त प्राणियों एवं चराचर जगत के कण-कण में शांति की कामना करता हुआ दैनंदिन लोकजीवन में वैदिक शांति पाठ का वाचन करता है -

प्रमोद दीक्षित मलय
बांदा,उत्तरप्रदेश

ॐ द्यौ: शांतिरन्तरिक्ष शांति:पृथिवी
शांति- शान्तिराप: शांतिरोषधय:
शांतिर्वनस्पतय: शांतिर्विश्वेदेवा:
शांतिर्ब्रह्मशांति: सर्व शांति:शांतिरेव
शांति: सामाशांतिरेभि: ओम शांति:
ओम शांति :ॐ शांति :

लेकिन व्यक्ति एवं विश्व अशांत है। युद्ध,रक्तपात,हिंसा,तनाव,अवसाद एवं आतंकवाद की विभीषिका में कैद मानवता कराह रही है। वैश्विक पटल पर जहां शिक्षा,संस्कृति,संगीत,साहित्य, संस्कार एवं सम्बंधों के समन्वय से उपजे सुखद सुवासित सुमधुर सरस मनोहारी उपवन लहलहाने चाहिए थे;वहां मिसाइलें और तोपें गरज रही हैं,बमों से धरा का अंग-प्रत्यंग क्षत-विक्षत हो रहा है और बारूद की दुर्गंध से फेफड़े भर गये हैं, धूल-धुआं से नेत्र शुष्क हो गये हैं। मानव एवं प्रकृति कराह रहे हैं। और जब यह करुण पुकार संयुक्त राष्ट्रसंघ के कर्ण गह्वर से टकराई तो उपाय एवं रास्ता मिलना ही था। दुनिया में शांति,अहिंसा और पारस्परिक सद्भाव एवं बंधुत्व के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में एक वैश्विक आयोजन की कार्य योजना प्रस्तावित कर इस दिन को अहिंसा,शांति और युद्ध विराम दिवस के रूप में घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा ने दुनिया में शांति,संवाद, सहयोग और समझ को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 1981 में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के आयोजन का प्रस्ताव दिया और वर्ष 1982 से यह दिवस सितम्बर महीने में मनाया जाने लगा। वर्ष 2001 से अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के आयोजन की तिथि 21 सितम्बर निश्चित की गई। इस दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ के मुख्यालय में शांति की घंटी बजाई जाती है जो हिंसा एवं युद्ध में मानवता की हानि का स्मरण कराती है।

वर्तमान वर्ष का आयोजन विशेष थीम शांति में निवेश करें सभी के लिए,हर जगह,हर दिन विषय पर केंद्रित है।

दुनिया में शांति स्थापित कर सौहार्द का परिवेश रचने हेतु संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 1948 में युद्धग्रस्त देशों में शांति सैनिकों की तैनाती का कदम उठाया। आज तक 70 से अधिक सैन्य अभियानों के माध्यम से हिंसा एवं युद्धग्रस्त क्षेत्रों में सैन्यकर्मियों,चिकित्सकों,पशु-चिकित्सकों,नर्सों,अध्यापकों,इंजीनियरों एवं मानवाधिकार अधिकारियों के रूप में 20 लाख से अधिक व्यक्तियों ने शिक्षा, सेवा,पुनर्वास,सड़क निर्माण,परिवहन, औषधि वितरण,वृक्षारोपण,रेडियो प्रसारण,चिकित्सालय निर्माण एवं भोजन प्रबंध में शांति मिशनों में योगदान दिया है। उल्लेखनीय है संयुक्त राष्ट्रसंघ के शांति सैनिक बल को 1988 में शांति क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। जरूरत है कि परिवार एवं समाज सामुदायिक सहयोग विचार भाव से जीवन यापन कर शांति की आराधना करें तथा दुनिया के समस्त देश संयुक्त राष्ट्रसंघ के पीस चार्टर के प्रावधानों, अंतरराष्ट्रीय एवं द्विपक्षीय शांति संधियों का पालन कर संवाद के रास्ते पर चलते हुए अंतरराष्ट्रीय शांति रक्षा अभियान, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक सहयोग कर शांति के वितान पर मानवता के खिलखिलाते पुष्पों का अंकन करें।

विचारणीय विषय है कि परिवारों में अशांति एवं वैमनस्यता क्यों पसरी हुई है तथा दुनिया युद्ध और हिंसा के चक्रव्यूह में क्यों फंसी हुई है ? युद्ध, हिंसा, रक्तपात, अशांति, वैमनस्यता एवं कटुता-कलुषता की कारा से मुक्त होने की कोई डगर बची भी है या समाधान के समस्त पथ अवरुद्ध हो चुके हैं। इन ज्वलंत प्रश्नों के उत्तर हमारे मन-मस्तिष्क में अंकित हैं, पर हम ऋषियों की अमरवाणी पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे। महाभारतकार संतोष को परम सुख,तृष्णा को महारोग,दया को परम धर्म तथा शांति को सर्वोत्कृष्ट तप बताते हुए समाधान देते हैं :

शांतिर्तुल्यं तपोनास्ति,न संतोषात्
परंसुखम्। न तृष्णाया: परोव्याधि:,
न च धर्मो दयापर:।

पर चाहे वह व्यक्ति हों या देश,सभी तृष्णा के पीछे विवेकहीन होकर भाग रहे हैं। सहज प्राप्त संसाधनों की सुख-सविधा में संतुष्ट न होकर अप्राप्त की प्राप्ति की मृगतृष्णा में फंसा हुआ है। इसी कारण परिवारों में भाई-भाई में टकराव है और एक देश का दूसरे देश से। प्रकृति ने समस्त प्राणियों के पोषण एवं जीवन निर्वाह हेतु पर्याप्त संपदा सौंपी हुई है किंतु हम अपने हिस्से में संतुष्ट न होकर दूसरे का हिस्सा हड़पना चाहते हैं। अपने लिए अधिकाधिक संसाधन जुटा लेना चाहते हैं, तरीका धमकाने-डराने का हो या फिर प्रकट युद्ध एवं हिंसा-रक्तपात का। अशांति, अस्थिरता एवं अनुशासनहीनता मानसिक विकृति का परिणाम है। अशांत मन को कहीं सुख नहीं मिलता और न ही ठहराव। श्रीमद्भगवतगीता में श्रीकृष्ण मार्गदर्शन करते हैं:-

अशांतस्य कुत : सुखं।

पर उन्माद के बहाव में कोई सुनने-समझने को तैयार नहीं हैं। नीति कहती है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव:। पर हमारी भाषा तो कटुता-क्लेश परोस रही है। मुझे लगता है कि यदि दुनिया में शांति,अहिंसा,प्रेम-सद्भाव एवं पारस्परिक बंधुत्व भाव के सकारात्मक आनंदमय वातावरण की रचना करनी है तो इस कल्याण मंत्र के भाव को हृदयंगम कर आचरण में लाना होगा,तभी विश्व शांति के फलक पर प्रगति के सप्तवर्णी रंग मुस्कुराते हुए वैश्विक सुख,संतुष्टि एवं समृद्धि के आसन पर सुशोभित होंगे :-

सर्वे भवन्तु सुखिन:
सर्वे भवन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा
कश्चिद् दु:खभाग्भवेत।।
ॐ शांति... शांति... शांति...

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

युद्ध की आग से तपती दुनिया में शांति की तलाश

शांति के लिए दुनिया को नई सोच की जरूरत

पूरी दुनिया आज ऐसे दौर से गुजर रही है,जहां युद्ध,आतंकवाद,आर्थिक असमानता,जलवायु संकट,साइबर हमले और सामाजिक असहिष्णुता ने मानवता की साझा आकांक्षाओं को बारंबार चुनौती दी है। ऐसे में शांति का विचार केवल युद्ध न करने तक सीमित नहीं रह गया है। शांति आज जीवन,न्याय,समानता,पर्यावरण संरक्षण और मानसिक संतुलन से जुड़ी एक व्यापक संस्कृति है। 21 सितंबर को मनाया जाने वालाअंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक विषय 'शांति में निवेश करें : हर किसी के लिए,हर जगह,हर दिन' के तहत मानवता के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना का उद्देश्य युद्ध और हिंसा के दुष्परिणामों पर ध्यान दिलाना था। आज के वैश्विक परिदृश्य में इसका महत्व पहले से कहीं अधिक है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, विश्व में लगभग 2.4 अरब लोग किसी न किसी रूप में संघर्षों से प्रभावित हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि शांति केवल कूटनीतिक वार्ताओं का विषय नहीं है बल्कि वैश्विक नीति,शिक्षा, स्वास्थ्य,पर्यावरण और आर्थिक न्याय से जुड़ा एक जटिल मुद्दा है।

योगेश कुमार गोयल
नजफगढ़,नई दिल्ली

शांति की संस्कृति का निर्माण यूनेस्को के उस मूल सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि'युद्ध मनुष्यों के दिमाग में शुरू होते हैं,इसलिए शांति की रक्षा मनुष्यों के दिमाग में ही की जानी चाहिए।' यह दृष्टिकोण आधुनिक समय में मानसिक स्वास्थ्य,शिक्षा और सामाजिक सहिष्णुता से जुड़ा है। यदि बच्चों को बचपन से ही विविधता का सम्मान करना,संवाद करना,अहिंसक समाधान अपनाना और मानवाधिकारों का मूल्य समझाना सिखाया जाए तो आने वाली पीढ़ियां संघर्षों के बजाय सहयोग की संस्कृति अपनाएंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार,मानसिक तनाव और अकेलापन हिंसा और अपराध की ओर ले जाने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, योग-ध्यान,परामर्श और सामुदायिक समर्थन शांति निर्माण का आधार बन सकते हैं। शांति का संबंध शिक्षा से भी गहराई से जुड़ा है। विश्वभर में लगभग 24 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनमें अधिकांश संघर्षग्रस्त या गरीब क्षेत्रों से हैं। शिक्षा से वंचित बच्चों में हिंसा,कट्टरता और असमानता की प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। इसलिए शिक्षा को शांति निर्माण के केंद्र में लाना होगा। शिक्षा कार्यक्रमों में मानवाधिकारों,लोकतंत्र, लैंगिक समानता,जलवायु जागरूकता और डिजिटल साक्षरता को शामिल करना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा पिछले वर्षों में दिए गए शांति दिवस के विषयों का विश्लेषण बताता है कि शांति के लिए समय-समय पर बदलती चुनौतियों के अनुरूप नीति निर्माण की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, 2010 में 'शांति और विकास के लिए युवा' पर बल दिया गया जबकि 2019 में'शांति के लिए जलवायु कार्रवाई'जैसे विषयों ने पर्यावरणीय संकट को शांति का केंद्रीय मुद्दा बनाया। कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 का विषय 'एक साथ शांति को आकार देना' यह दर्शाता है कि वैश्विक संकटों के समय सहयोग की संस्कृति ही समाधान का आधार बनती है। इसी प्रकार 2024 का विषय 'शांति की संस्कृति का विकास करना' यह इंगित करता है कि शांति को केवल युद्धविराम की अवधि तक सीमित नहीं रखा जा सकता,इसे समाज के प्रत्येक स्तर पर विकसित करना होगा।

आर्थिक असमानता शांति की राह में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.6 प्रतिशत तक पहुंची जबकि करोड़ों लोग आज भी अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं,जहां सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। बेरोजगारी और आर्थिक असमानता हिंसा,अपराध और सामाजिक असंतोष को जन्म देती है। इसलिए शांति निर्माण के लिए आर्थिक नीति में समावेशी विकास को केंद्र में रखना आवश्यक है। वैश्विक विकास लक्ष्यों के तहत 2030 तक 'कोई गरीबी नहीं' और 'उचित काम और आर्थिक वृद्धि' जैसे लक्ष्यों को प्राथमिकता देना शांति निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। शांति के लिए न्याय और पारदर्शिता भी अपरिहार्य हैं। जब नागरिकों को न्याय नहीं मिलता या प्रशासन भ्रष्ट होता है तो विश्वास समाप्त हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व के 180 में से अधिकांश देशों में भ्रष्टाचार एक बड़ी चुनौती है। शांति निर्माण के लिए स्वतंत्र न्याय प्रणाली,पारदर्शी प्रशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम आवश्यक हैं। नागरिकों को सूचना का अधिकार,शिकायत निवारण तंत्र और डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाने चाहिएं ताकि वे शासन में सक्रिय भूमिका निभा सकें। शांति केवल प्रशासनिक व्यवस्था से नहीं बल्कि नागरिकों की भागीदारी और विश्वास से भी बनती है। शांति निर्माण में संस्कृति,कला और संवाद भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, संगीत समारोह,नाटक,साहित्य और खेल प्रतियोगिताएं लोगों के बीच विश्वास और सहयोग का पुल बना सकते हैं। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रम मानसिक आघात से उबरने में मदद कर सकते हैं। महात्मा गांधी का यह कथन कि'शांति का कोई मार्ग नहीं है,शांति ही मार्ग है' हमें याद दिलाता है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं, जीवन का तरीका है। इसी तरह अल्बर्ट आइंस्टीन का यह विचार कि 'शांति बल से नहीं बल्कि समझ से कायम रहती है' बताता है कि संवाद और समझ ही स्थायी समाधान का आधार हैं। पर्यावरण संरक्षण भी शांति निर्माण का आवश्यक अंग है। जलवायु परिवर्तन की वजह से उत्पन्न प्राकृतिक आपदाएं, जल संकट और खाद्य असुरक्षा संघर्षों को बढ़ा सकती हैं। इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा,जल संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण और सतत कृषि को बढ़ावा देना आवश्यक है।

महिलाओं की सहभागिता शांति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, संघर्ष क्षेत्रों में महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित होती हैं, फिर भी शांति वार्ताओं में उनकी भागीदारी बेहद सीमित है। शोध बताते हैं कि जहां महिलाओं को शांति प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है, वहां संघर्ष समाप्त होने की संभावना 35 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। इसलिए महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देना,उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और राजनीतिक मंच उपलब्ध कराना आवश्यक है। आज की दुनिया में शांति की संस्कृति का निर्माण केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है,व्यक्ति,समुदाय,नागरिक समाज, मीडिया,शैक्षणिक संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी। व्यक्तिगत स्तर पर जिम्मेदार व्यवहार,सहिष्णुता,मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल और संवाद की संस्कृति विकसित करनी होगी। सामुदायिक स्तर पर स्थानीय शांति समितियों का गठन,युवा नेतृत्व कार्यक्रम, सांस्कृतिक मेलों का आयोजन और सहयोगी नेटवर्क बनाना आवश्यक है। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य,जलवायु समझौते और शांति निर्माण कार्यक्रमों का समर्थन करना होगा। तभी एक ऐसा विश्व संभव होगा, जहां युद्ध और हिंसा के स्थान पर संवाद, सहयोग और मानवता का सम्मान प्रमुख होगा। शांति का मार्ग कठिन अवश्य है परंतु यदि हम शिक्षा,संवाद,न्याय, पर्यावरण संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर कार्य करें तो स्थायी शांति का निर्माण संभव है।

पितृ पक्ष,कर्तव्यों,आस्था और हमारी सनातन संस्कृति का पावन संगम

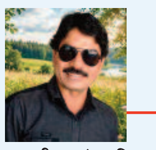
डॉ. मुश्ताक़ अहमद शाह सहज़ हरदा मध्य प्रदेश

पितृ पक्ष भारतीय संस्कृति का वह स्वर्णिम काल है, जो हमें हमारी जड़ों और पूर्वजों के प्रति अटूट कृतज्ञता का बोध कराता है। यह मात्र तर्पण या पिंडदान का अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हमारी उस महान परंपरा का जीवंत रूप है जो यह सिखाती है कि शरीर भले ही न रहे, किंतु हमारे पूर्वजों के संस्कार, आशीर्वाद और ऊर्जा सदैव हमारे साथ बनी रहती है।

हिन्दू सनातन परंपरा में पितृ ऋण को जीवन के प्रमुख ऋणों में माना गया है। माता-पिता और पूर्वजों ने हमें जीवन, संस्कृति और संस्कार रूपी जो धरोहर सौंपी है,उसके प्रति समर्पित होना ही हमारा परम कर्तव्य है। पितृ पक्ष के ये सोलह दिन हमें अपनी व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा समय निकालकर उनके प्रति श्रद्धा,सम्मान और स्मरण अर्पित करने का अवसर देते हैं। यह पर्व हमारी अगाध आस्था और उस अटूट विश्वास का प्रतीक है जो वसुधैव कुटुंबकम् की भावना को जीवित रखता है– अर्थात परिवार केवल जीवित सदस्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वे सभी पीढ़ियां शामिल हैं जिन्होंने इस कुल की नींव रखी। जब हम तर्पण करते हैं,तो यह हमारी कृतज्ञता की मौन भाषा होती है।

अत:,इन दिनों में श्रद्धापूर्वक पिंडदान,ब्राह्मण भोजन और जरूरतमंदों को दान देकर हम न केवल अपने पितरों की आत्मा की शांति की कामना करते हैं,बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी को भी अपनी महान संस्कृति और संस्कारों से जोड़ते हैं।

सेवा संकल्प अभियान : जनविश्वास ही राष्ट्र निर्माण की शक्ति

हेमेन्द्र क्षीरसागर,बालाघाट,मध्यप्रदेश

सेवा संकल्प अभियान भारतीय राजनीति में केवल एक संगठनात्मक अवसर नहीं, बल्कि सेवा,समर्पण और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को स्मरण करने का अवसर बन चुका है। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाया जाने वाला यह अभियान विशेष महत्व रखता है,क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा-संकल्प के 25 वर्षों की यात्रा से भी जुड़ा है। नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में संवैधानिक दायित्व संभाला और वर्ष 2014 से देश के प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। इस दीर्घ सार्वजनिक यात्रा में गरीब,वंचित,किसान,महिला,श्रमिक, युवा और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना उनके राजनीतिक चिंतन का प्रमुख आधार रहा है।

सेवा पखवाड़ा क्यों महत्वपूर्ण?

सेवा संकल्प अभियान का मूल उद्देश्य प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को जनसेवा से जोड़ना है। इसके अंतर्गत भाजपा कार्यकर्ता समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जाकर आशीर्वाद का दीया, स्वच्छता,स्वास्थ्य,पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान,पौधरोपण,गरीब कल्याण,जनजागरूकता और सामाजिक सहभागिता जैसी गतिविधियों में भाग लेते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि राजनीति केवल चुनाव और सत्ता प्राप्ति तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व का माध्यम बने।

जनभागीदारी का अभियान

आज के समय में जब राजनीतिक दलों से जनता की अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही हैं,तब सेवा संकल्प संगठन और समाज के बीच संवाद का अवसर भी प्रदान करता है। किसी जरूरतमंद की सहायता, सार्वजनिक स्थान की स्वच्छता, रक्तदान,पौधा लगाना या स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना। ये छोटे प्रयास मिलकर सामाजिक परिवर्तन की बड़ी ताकत बन सकते हैं। सेवा पखवाड़े की सार्थकता तभी है,जब यह केवल कार्यक्रमों और तस्वीरों तक सीमित न रहकर व्यवहार में सेवा-संस्कार का रूप ले।

25 वर्षों की यात्रा से सीख

नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की यात्रा को यदि एक शब्द में परिभाषित किया जाए तो वह है सेवा। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने भी यही चुनौती है कि वे सेवा को केवल अभियान नहीं,बल्कि अपनी कार्यसंस्कृति का हिस्सा बनाएं। लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक संगठन की वास्तविक शक्ति उसके कार्यकर्ताओं और जनता के बीच संबंधों में निहित होती है। सेवा के माध्यम से यह संबंध अधिक आत्मीय और मजबूत बनाया जा सकता है।

संकल्प का अवसर

प्रधानमंत्री का जन जीवन यदि समाज के कमजोर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का माध्यम बने।

युद्ध की राख से शांति का नया संसार कैसे बने?

21 सितम्बर का अंतराष्ट्रीय शांति दिवस इस वर्ष ऐसे समय में आया है, जब दुनिया को शांति की सबसे अधिक जरूरत है। रूस-यूक्रेन युद्ध लंबा खिंच चुका है,पश्चिम एशिया में इजराइल-गाजा संघर्ष की मानवीय त्रासदी समाप्त नहीं हुई है और 2026 में अमेरिका-इजराइल तथा ईरान के बीच भीषण सैन्य संघर्ष ने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। ऐसे वातावरण में शांति केवल एक आदर्श या कूटनीतिक शब्द नहीं,बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व की अनिवार्य शर्त बन गई है। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 के अंतराष्ट्रीय शांति दिवस की थीम रखी है-शांति में निवेश करें-सभी के लिए, हर जगह,हर दिन। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार शांति का अर्थ केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं,बल्कि सुरक्षा,गरिमा,अवसर और सहयोग का ऐसा वातावरण है जिसमें मनुष्य भयमुक्त होकर जीवन जी सके। इस वर्ष विशेष रूप से उन 'रोजमर्रा के शांति-निर्माताओं' को रेखांकित किया जा रहा है, जो अपने परिवार,समुदाय, विद्यालय और समाज में संवाद तथा विश्वास की नींव मजबूत करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग भी शांति की खोज एवं शांति की स्थापना में होना चाहिए। ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता करते हुए भारत ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के महत्व को ही रेखांकित किया है। दुनिया की वर्तमान स्थिति इस संदेश को और महत्वपूर्ण बनाती है। रूस-यूक्रेन युद्ध के साढ़े चार वर्ष से अधिक समय बाद भी हिंसा समाप्त नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जुलाई 2026 में यूक्रेन में कम-से-कम 437 नागरिक मारे गए और 2,610 घायल हुए-मार्च 2022 के बाद किसी एक महीने में दर्ज सबसे अधिक नागरिक क्षति में से एक है। मिसाइलों,ड्रोन और हवाई हमलों ने शहरों, ऊर्जा ढांचे और सामान्य नागरिक जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। सितंबर में अमेरिका,रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता फिर शुरू करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई है,लेकिन क्षेत्रीय नियंत्रण सहित कई महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी विवादित हैं। पश्चिम एशिया की स्थिति भी विश्व-शांति के लिए गंभीर चुनौती है। गाजा में संघर्ष और मानवीय संकट पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सितंबर 2026 में भी वहां हवाई हमलों और सैन्य कार्रवाइयों के कारण नागरिकों की मौतें जारी थीं और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित जीवन जी रहे थे। दूसरी ओर, फरवरी 2026 से अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुआ संघर्ष क्षेत्रीय तनाव को व्यापक बना चुका है। ईरान के हमलों और अमेरिकी तथा इजराइली सैन्य कार्रवाइयों ने केवल संबंधित देशों को ही नहीं, बल्कि खाड़ी क्षेत्र, ऊर्जा आपूर्ति और अंतराष्ट्रीय व्यापार मार्गों को भी प्रभावित किया है। सितंबर में भी इस युद्ध के समाप्त होने की स्पष्ट स्थिति नहीं बनी थी।

ललित गर्ग
पटपड़गंज,नई दिल्ली

इन युद्धों की सबसे बड़ी कीमत सैनिकों से कहीं अधिक आम नागरिक चुका रहे हैं। घर उजड़ते हैं, बच्चे शिक्षा से वंचित होते हैं,अस्पताल और ऊर्जा व्यवस्था प्रभावित होती है,रोजगार समाप्त होते हैं और लाखों लोग विस्थापित होते हैं। युद्ध केवल वर्तमान को नहीं जलाता,वह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी कमजोर करता है। इसलिए शांति की चर्चा केवल सीमाओं और सेनाओं के संदर्भ में नहीं,बल्कि मानवाधिकार, विकास,पर्यावरण,शिक्षा,स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा के संदर्भ में भी करनी होगी। शांति स्थापित करने का पहला रास्ता संवाद है। युद्धरत देशों के बीच प्रत्यक्ष संवाद कठिन हो सकता है,लेकिन असंभव नहीं। युद्ध के बीच भी मानवीय गलियारे,युद्धविराम, कैदियों की अदला-बदली, नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय सहायता के रास्ते खुले रखने चाहिए। स्थायी शांति के लिए बातचीत में केवल शक्तिशाली देशों की भूमिका पर्याप्त नहीं है;क्षेत्रीय देशों,अंतराष्ट्रीय संस्थाओं, नागरिक समाज और प्रभावित समुदायों की आवाज भी शामिल होनी चाहिए।

दूसरा रास्ता है हथियारों की दौड़ के बजाय शांति में निवेश। दुनिया सैन्य क्षमता पर जितना खर्च करती है,उसका एक हिस्सा यदि शिक्षा,स्वास्थ्य, रोजगार,जलवायु संरक्षण और संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण पर लगाया जाए तो हिंसा की जड़ों को कमजोर किया जा सकता है। शांति केवल युद्ध समाप्त करने से नहीं आती; गरीबी, असमानता,बेरोजगारी,भेदभाव और अवसरों की कमी जैसे कारणों पर काम करना भी शांति-निर्माण का हिस्सा है। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है विश्वसनीय अंतराष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना ही अंतराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुई थी। आज आवश्यकता इस बात की है कि बहुपक्षीय संस्थाएं अधिक प्रभावी,प्रतिनिधित्व पूर्ण और जवाबदेह बनें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने 2026 के संदेश में कूटनीति, संवाद,बातचीत,शांति स्थापना,मानवाधिकार और सतत विकास में निवेश को स्थायी शांति के महत्वपूर्ण साधन बताया है।

भारत की शांति-दृष्टि भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। पंचशील के सिद्धांत-एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, आक्रामकता से परहेज, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना,समानता एवं पारस्परिक लाभ तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व-अंतराष्ट्रीय संबंधों में संवाद और सह-अस्तित्व की अवधारणा को मजबूत करते हैं। महावीर का अहिंसा संदेश, बुद्ध की करुणा,गांधी का सत्य-अहिंसा दर्शन और आधुनिक भारत की शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की परंपरा दुनिया को यह स्मरण कराती है कि शक्ति का सर्वोच्च रूप विनाश नहीं,संयम और मानवीयता है। शांति केवल सरकारों की जिम्मेदारी भी नहीं है। घर में संवाद,विद्यालय में सहिष्णुता,समाज में भाईचारा और डिजिटल माध्यमों पर जिम्मेदार भाषा-ये सब विश्वशांति की ही छोटी इकाइयां हैं। आज सोशल मीडिया पर नफरत,झूठी सूचनाएं और उकसाने वाली भाषा सामाजिक तनाव को बढ़ाती हैं। इसलिए डिजिटल शांति भी 21वीं सदी की एक बड़ी आवश्यकता है। बच्चों और युवाओं को विवाद का उत्तर हिंसा से नहीं, तर्क, संवाद और सहानुभूति से देना सिखाना होगा।

सफेद कबूतर शांति का प्रतीक जरूर है,लेकिन अब प्रतीकों से आगे बढ़कर शांति की ठोस संरचना बनाने का समय है। युद्ध रोकने के लिए कूटनीति,नागरिकों की रक्षा के लिए अंतराष्ट्रीय कानून,पीड़ितों के लिए मानवीय सहायता, विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए वैश्विक सहयोग-इन सभी को समान महत्व देना होगा। आज दुनिया को यह स्वीकार करना होगा कि किसी देश की सुरक्षा दूसरे देश की असुरक्षा पर स्थायी रूप से आधारित नहीं हो सकती। किसी एक क्षेत्र का युद्ध धीरे-धीरे ऊर्जा,व्यापार,पर्यावरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

त्योहारों से पहले पुलिस ने अपडेट की अपराधियों की निगरानी सूची...

13 नए गुंडा फाइल खोले,120 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई,हथियार और स्टंटबाजी करने वालों पर रहेगी नजर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

नवरात्रि, दशहरा और दीपावली से पहले पुलिस ने शहर में कानून व्यवस्था को लेकर निगरानी बढ़ा दी है। कोतवाली,गांधीनगर और मणिपुर थाना क्षेत्र में आदतन अपराधियों और उपद्रवियों का रिकॉर्ड खंगालकर 13 नए गुंडा फाइल खोले गए हैं। वहीं अलग-अलग धाराओं में 120 लोगों के खिलाफ प्रति बंधात्मक कार्रवाई की गई है। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा ने 2 सितंबर को पुलिस अधीक्षक,सीएसपी और संबंधित थाना प्रभारियों की बैठक लेकर त्योहारों के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए थे। उन्होंने गुंडा-बदमाशों,गैंग हिस्ट्रीशीटर,निगरानी बदमाशों और उपद्रवियों पर विशेष नजर रखने कहा था। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू की गई। कोतवाली में 2,गांधीनगर में 10 और मणिपुर में एक नया गुंडा फाइल खोला गया। इस तरह तीनों थाना क्षेत्रों में कुल 13 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

82 लोगों पर दो धाराओं में कार्रवाई : बीएनएसएस की धारा 126 एवं 135(3) के तहत कुल 82 लोगों पर कार्रवाई हुई। इनमें कोतवाली के 36, गांधीनगर के 36 और मणिपुर के 10 लोग शामिल हैं। धारा 128 के तहत 4 और धारा 129 के तहत 34 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।

हथियार व स्टंटबाजी पर रहेगी नजर : पुलिस ने आगामी त्योहारों के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लहराने, चाकूबाजी, स्टंटबाजी और उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों की निगरानी जारी रहेगी,ताकि त्योहारों के दौरान किसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो।

नाले किनारे लावारिस शवों का अंतिम संस्कार,बारिश में बाहर आने का खतरा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

शहर में लावारिस शवों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि लावारिस शवों का अंतिम संस्कार नाले के किनारे किया जाता है। बारिश के दौरान पानी भरने और आवारा श्वानों के कारण शवों के बाहर निकल आने का खतरा बना रहता है। इस समस्या को लेकर समाजसेवियों और वार्डवासियों ने धरना-प्रदर्शन कर प्रशासन से सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए अलग और उचित स्थान निर्धारित करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नाले के किनारे अंतिम संस्कार की व्यवस्था होने से बारिश के मौसम में स्थिति और खराब हो जाती है। पानी के बहाव के साथ शवों के बाहर आने तथा आवारा श्वानों द्वारा शवों को क्षतिग्रस्त किए जाने की आशंका बनी रहती है। इससे क्षेत्र में रहने वाले लोगों में भी नाराजगी है।

पहले भी दिए जा चुके हैं ज्ञापन : समाजसेवियों और वार्डवासियों के अनुसार इस समस्या से जिला प्रशासन और नगर निगम को पहले भी कई बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक स्थान उपलब्ध कराने की मांग की है।

खाली घर में घुसे तीन नाबालिग चोरी कर फैलाई गंदगी

दिल्ली से लौट रहा है परिवार,तभी स्पष्ट होगी चोरी की रकम

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

गांधीनगर थाना क्षेत्र के चोपड़ापारा में एक खाली मकान को निशाना बनाकर चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घर में रहने वाली महिला अपनी बेटी के पास नोएडा गई थीं। इस दौरान तीन नाबालिग घर में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घर के कमरों में जगह-जगह टॉयलेट कर गंदगी भी फैलाई गई है। चोरी कितने की हुई है,इसका पता परिवार के वापस लौटने के बाद ही चल सकेगा। जानकारी के अनुसार चोपड़ापारा निवासी वेदमति मिश्रा अकेले रहती हैं। उनकी बेटी अंशु मिश्रा की शादी हो चुकी है और वह नोएडा में रहती हैं। वेदमति मिश्रा भी कुछ समय के लिए बेटी के पास नोएडा गई थीं। घर की देखरेख के लिए एक युवक को चाबी दी गई थी,लेकिन वह भी बाहर चला गया था। इसी दौरान 16 से 19 सितंबर के बीच तीन नाबालिग घर में घुसे। बताया जा रहा है कि तीनों नाबालिग ग्राउंड फ्लोर स्थित मकान में छत के रास्ते आंगन में उतरे और चैनल गेट को फैलाकर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद घर के कमरों की तलाशी ली और सामान अस्त-व्यस्त कर दिया। कमरों में जगह-जगह टॉयलेट कर गंदगी भी फैलाई गई।

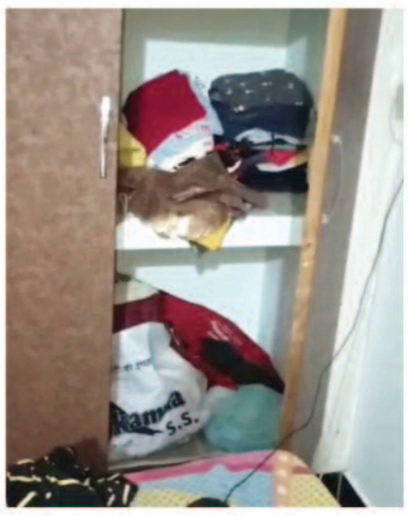

देखरेख करने वाला लौटा तो चला पता : घर की देखरेख करने वाला युवक शनिवार को वापस लौटा। घर की स्थिति देखकर उसे चोरी की जानकारी हुई। इसके बाद परिवार को सूचना दी गई और वे दिल्ली से अंबिकापुर के लिए रवाना हो गए हैं। परिवार के लौटने के बाद ही घर से चोरी हुए सामान और रकम का वास्तविक आकलन हो सकेगा।

चंद्रगढ़ पंचायत में नियम किसके लिए? सचिव पर 24 लाख के आरोप के बीच ग्रामसभा की कार्यप्रणाली पर सवाल

ग्रामीणों की मांगें दरकिनार करने,प्रस्तावों में मनमानी और बैठक व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप...विभागीय जांच पूरी होने के बाद भी कार्रवाई का इंतजार

सुदामा राजवाड़े

बलरामपुर,20 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

ग्राम पंचायत को लोकतंत्र की सबसे निचली लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है, जहां गांव के लोगों की आवाज ग्रामसभा के जरिए सामने आती है। लेकिन राजपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत चंद्रगढ़ में ग्रामीणों ने ग्रामसभा की कार्यप्रणाली से लेकर पंचायत सचिव की भूमिका तक कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में उनकी मांगों और जनहित के प्रस्तावों को महत्व नहीं दिया जा रहा,जबकि कुछ प्रस्ताव सीमित लोगों की मौजूदगी में आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इससे पंचायती राज व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामसभा में मतदाता सूची में दर्ज ग्रामीण सदस्य होते हैं और पंचायत व्यवस्था में ग्रामसभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में ग्रामीणों का आरोप है कि यदि ग्रामसभा में रखी जाने वाली मांगों और प्रस्तावों को ही गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तो फिर ग्रामसभा की उपयोगिता क्या रह जाएगी?

24 अगस्त की बैठक में मांगें रखीं, प्रस्ताव में शामिल हुई या नहीं? ग्रामीणों के अनुसार 20 अगस्त को आयोजित विशेष ग्रामसभा में गांव में बकरी शेड निर्माण तथा स्ट्रीट लाइट के लिए हैलोजन बल्ब लगाने जैसी स्थानीय जरूरतों से जुड़े प्रस्ताव रखने की मांग की गई थी। आरोप है कि इन मांगों को अपेक्षित महत्व नहीं दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामसभा में आने वाले प्रस्तावों की प्रक्रिया स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए। यदि किसी मांग को प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है तो उसका कारण भी ग्रामीणों के सामने रखा जाना चाहिए। सवाल यह है कि ग्रामसभा में ग्रामीणों की मांगों पर क्या निर्णय हुआ और उसे कार्यवाही रजिस्टर में किस रूप में दर्ज किया गया?

20-25 लोगों की मौजूदगी में प्रस्तावों पर सवाल : ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कई बैठकों में अपेक्षाकृत कम संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं और इसी दौरान कुछ प्रस्ताव पारित किए जाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। उनका दावा है कि

700 से अधिक मतदाताओं वाले गांव में ग्रामसभा की बैठकों की उपस्थिति, कोरम, सूचना और कार्यवाही की निष्पक्ष जांच की जरूरत है। यहां सवाल केवल संख्या का नहीं, बल्कि बैठक की वैधानिक प्रक्रिया और रिकॉर्ड की विश्वसनीयता का है। बैठक की सूचना कब और कैसे दी गई? उपस्थिति पंजी में कितने लोगों के हस्ताक्षर हैं? कोरम की गणना किस आधार पर की गई? किस प्रस्ताव पर किसने सहमति दी? और पूरी कार्यवाही किस अधिकारी या पदाधिकारी की उपस्थिति में हुई? इन सवालों के जवाब पंचायत के रिकॉर्ड से ही सामने आ सकते हैं।

सचिव पर 24 लाख की वित्तीय अनियमितता के आरोप, जांच के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं? चंद्रगढ़ पंचायत में सबसे गंभीर सवाल पंचायत सचिव रामचंद्र यादव के खिलाफ लगाए गए कथित करीब 24 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता / गबन के आरोपों को लेकर है। शिकायतकर्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा मामले में जांच और कार्रवाई की मांग किए जाने की बात सामने आई है। इसी मामले को लेकर न्यायालय में याचिका दायर किए जाने तथा विभागीय जांच की मांग किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने से पहले जांच और सक्षम प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्ष का इंतजार आवश्यक है, लेकिन यदि विभागीय स्तर पर जांच वास्तव में पूरी हो चुकी है तो उसका निष्कर्ष सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? दोष निर्धारित हुआ है या नहीं? कितनी राशि पर आपत्ति दर्ज हुई? संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय हुई या नहीं? यदि आरोप निराधार पाए गए तो शिकायतकर्ता को इसकी जानकारी दी गई या नहीं? यही वे सवाल हैं जिनका जवाब ग्रामीण प्रशासन से मांग रहे हैं।

विभागीय जांच पूरी, अब कार्रवाई का इंतजार : इस मामले में जनपद पंचायत राजपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से फोन पर जानकारी लिए जाने पर उन्होंने बताया कि विभागीय जांच पूरी कर प्रशासन को भेजी जा चुकी है। अब सवाल यह है कि जांच रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकला? रिपोर्ट किस अधिकारी को भेजी गई? उसके आधार पर आगे क्या कार्रवाई प्रस्तावित है? और यदि जांच में वित्तीय अनियमितता प्रमाणित नहीं हुई है तो इसकी स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? जांच पूरी होने के बाद भी कार्रवाई अथवा स्थिति स्पष्ट नहीं होने से ग्रामीणों में असमंजस बना हुआ है।

अध्यक्ष की आसंदी पर भी सवाल, सचिव की भूमिका कितनी? ग्रामीणों ने पंचायत की बैठकों में बैठने की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि निर्वाचित अध्यक्ष की निर्धारित आसंदी के स्थान पर पंचायत सचिव द्वारा अपनी कुर्सी लगाए जाने जैसी स्थिति देखने को मिली। यदि ऐसा हुआ है तो यह केवल कुर्सी का विवाद नहीं,बल्कि पंचायत की संस्थागत मर्यादा और बैठक संचालन की प्रक्रिया से जुड़ा प्रश्न है। बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा था? कार्यवाही किसने संचालित की? सचिव की भूमिका क्या थी? और अध्यक्ष की आसंदी निर्धारित होने के बावजूद व्यवस्था अलग क्यों रही? इसका जवाब संबंधित बैठक की कार्यवाही और उपस्थित अधिकारियों-पदाधिकारियों से मिल सकता है।

ग्रामसभा जनता की है या चंद लोगों की? चंद्रगढ़ का मामला अब केवल एक पंचायत सचिव के खिलाफ लगाए गए आरोपों तक सीमित नहीं रह गया है। असली सवाल यह है कि गांव की पंचायत व्यवस्था में निर्णय लेने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है। यदि ग्रामीणों की जायज मांगें ग्रामसभा में दर्ज नहीं होतीं,बैठक की उपस्थिति और कोरम पर सवाल उठते हैं, प्रस्तावों की प्रक्रिया पर संदेह रहता है और वित्तीय अनियमितता के आरोपों की जांच रिपोर्ट कार्रवाई के इंतजार में रहती है,तो पंचायत प्रशासन को इन सभी बिंदुओं पर सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। पंचायती राज का अर्थ केवल पंचायत भवन में बैठक करना नहीं, बल्कि ग्रामीणों की आवाज को रिकॉर्ड पर लेना और निर्णय प्रक्रिया को पारदर्शी रखना है।

अब इन सवालों का जवाब जरूरी

- 24 अगस्त की विशेष ग्रामसभा में कुल कितने मतदाता/ग्रामीण उपस्थित थे?
- उपस्थिति पंजी में दर्ज संख्या कितनी है?
- बैठक का कोरम किस आधार पर पूरा माना गया?
- बकरी शेड और स्ट्रीट लाइट की मांग का प्रस्ताव कार्यवाही में दर्ज है या नहीं?
- ग्रामसभा में पारित सभी प्रस्तावों की प्रति सार्वजनिक क्यों नहीं की गई?
- 24 लाख रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता की विभागीय जांच में क्या निष्कर्ष निकला?
- जांच रिपोर्ट किस अधिकारी को भेजी गई और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई?
- बैठक में अध्यक्ष की आसंदी और सचिव की भूमिका से संबंधित नियमों का पालन हुआ या नहीं?

चंद्रगढ़ के ग्रामीण अब केवल आरोप नहीं,दस्तावेजी जवाब चाहते हैं। पंचायत की कार्यवाही पंजी, उपस्थिति रजिस्टर,प्रस्ताव पुस्तिका, वित्तीय अभिलेख और विभागीय जांच रिपोर्ट सामने आने पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और पंचायत व्यवस्था में वास्तव में कहां चूक हुई है।

नशा मुक्ति को लेकर विद्या दीदी ने योग आयोग अध्यक्ष से की मुलाकात

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

ब्रह्माकुमारी संस्था की सरगुजा संभाग संचालिका राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी विद्या दीदी ने छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त श्री संजय अग्रवाल से सौजन्य भेंट की। इस दौरान नशा मुक्ति, आध्यात्मिक जागरूकता और स्वस्थ समाज के निर्माण को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। विद्या दीदी ने कहा कि युवाओं और समाज को नशे के बढ़ते प्रभाव से बचाने के लिए आध्यात्मिक जागरूकता,योग तथा राजयोग मेडिटेशन को प्रभावी माध्यम बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा

कि नशा मुक्ति केवल नशे की आदत छोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति के विचारों, संस्कारों और जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव भी जरूरी है। योग आयोग अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल ने नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा योग एवं आध्यात्मिकता के माध्यम से स्वस्थ और संस्कारवान समाज के निर्माण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। मुलाकात के दौरान आर्ट ऑफ लिविंग के संचालक श्री अजय तिवारी भी उपस्थित रहे।

खेत में करंट फैलाकर ली जान : मक्का बाड़ी की घेराबंदी में दौड़ा करंट,किसान की दर्दनाक मौत; आरोपी गिरफ्तार

-संवाददाता-
त्रिकुंडा,20 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुर (सुईदोहर) गांव में मक्का बाड़ी की सुरक्षा के लिए लगाए गए नंगे तार में करंट प्रवाहित करना एक किसान की जान पर भारी पड़ गया। खेत में लगाए गए तार की चपेट में आने से 40 वर्षीय किसान लहन राम की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस जांच में खेत मालिक द्वारा विद्युत पोल से कथित रूप से अवैध कनेक्शन लेकर बाड़ी के तारों में करंट प्रवाहित किए जाने की बात सामने आई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया,जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार,गोवर्धनपुर निवासी लहन राम 8 सितंबर 2026 को खेत में जुताई करने गया था। जुताई के दौरान प्यास लगने पर वह पास स्थित राम सिंह गोंड के घर पानी पीने जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में राम सिंह की मक्का बाड़ी की घेराबंदी के लिए लगाए गए नंगे तार की चपेट में आ गया। तार में करंट प्रवाहित होने के कारण उसे जोरदार बिजली का झटका लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद त्रिकुंडा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की।

सड़क-बिजली-पानी के मुद्दों पर कांग्रेस ने बनाई रणनीति

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

शहर की बदहाल सड़क, बिजली, नाली और पानी की व्यवस्था को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने संगठन स्तर पर मुद्दे उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को हुई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तृतीय बैठक में जनसमस्याओं के साथ संगठन को सक्रिय और मजबूत बनाने पर भी मंथन हुआ। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष इंदरजीत सिंह धंजल की मौजूदगी में आयोजित बैठक में मंडल अध्यक्षों और ब्लॉक पदाधिकारियों ने शहर की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। धंजल ने प्रशिक्षण शिविर में मिले अनुभव साझा किए और संगठन की आगामी गतिविधियों को लेकर दिशा-निर्देश दिए। बैठक में स्मार्ट मीटर बदलने के लिए आवेदन भरवाने को लेकर मंडल अध्यक्षों को आवश्यक जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा सड़क,

बिजली,नाली और पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर कार्यकर्ताओं से क्षेत्रवार जानकारी लेने और इन मुद्दों को संगठन के माध्यम से उठाने पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता हनुमान सिंह ने की,जबकि संचालन ब्लॉक कांग्रेस मीडिया प्रभारी धनमीत सिंह छाबड़ा ने किया। सह-संयोजक मालती सिंह, कार्यालय प्रभारी अमित वर्मा सहित विभिन्न मंडलों के अध्यक्ष,पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में सतीश बारी,रजनीश सिंह, बालेश्वर तिर्की,सोहन जैसवाल, सौरभ फिलिप, पवन सिंह,आलोक गुप्ता,बनाफर किरकेट्टा, रोशन कनौजिया,त्रिवेणी यादव,तीरथ चौधरी,मोहम्मद आबिद,अजर मंसूरी,अनिल दास,संजय गुप्ता, उपेंद्र विश्वकर्मा,रुबी जैन,शकीला सिद्दीकी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

राजपुर में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक,स्मार्ट मीटर के विरोध में घर-घर अभियान का निर्णय

-संवाददाता-
राजपुर,20 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजपुर में मंडल अध्यक्षों एवं पार्टी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के साथ ही स्थानीय जन समस्याओं को लेकर आगामी गतिविधियों की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हरिहर प्रसाद यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नीरज तिवारी ने की। बैठक में मंडल, पंचायत एवं बूथ कमेटियों की नियमित मासिक बैठकें आयोजित करने तथा कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया गया।

निधन

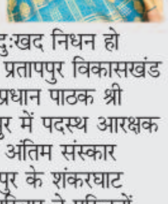

अम्बिकापुर,20 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। गांधीनगर मुक्तिपारा निवासी सेवानिवृत्त डिप्टी रेंजर एवं प्रसिद्ध देवी उपासक श्री मनमोहन पाण्डेय की धर्मपत्नी श्रीमती ललिता देवी का रविवार को दुःखद निधन हो गया। वे 75 वर्ष की थीं। श्रीमती ललिता देवी प्रतापपुर विकासखंड के श्यामनगर स्थित प्राथमिक शाला में पदस्थ प्रधान पाठक श्री ओम प्रकाश पाण्डेय एवं केंद्रीय जेल अंबिकापुर में पदस्थ आरक्षक श्री वेद प्रकाश पाण्डेय की माताश्री थीं। उनका अंतिम संस्कार सोमवार,21 सितंबर को प्रातः 9 बजे अंबिकापुर के शंकरघाट स्थित मुक्तिधाम में किया जाएगा। शोकाकुल परिवार ने परिजनों, इष्ट-मित्रों एवं शुभचिंतकों से अंतिम यात्रा में शामिल होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया है।

सेवा संकल्प अभियान में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा,भाषण व ड्राइंग प्रतियोगिता

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के निर्देश पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरहरी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान के तहत विद्यालय में भाषण और ड्राइंग प्रतियोगिता हुई। वहीं 17 सितंबर की शाम विद्यालय परिसर में 500 संकल्प दीये प्रज्वलित कर विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जनपद सदस्य कुंती शिवपाल कुशवाहा तथा विशिष्ट अतिथि सरपंच प्रतिनिधि शिव बालक,विजय नारायण कुशवाहा,रूद्रप्रसाद कुशवाहा और पुष्पेंद्र गुप्ता उपस्थित रहे। प्राचार्य दिलीप तिवारी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विकसित

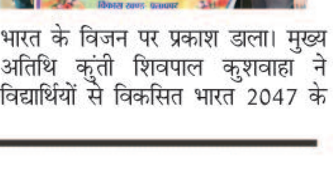

भारत के विजन पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि कुंती शिवपाल कुशवाहा ने विद्यार्थियों से विकसित भारत 2047 के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। भाषण प्रतियोगिता में तारा रानी ने प्रथम, वर्षा कुशवाहा ने द्वितीय और हेमराज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हायर सेकेंडरी स्तर की ड्राइंग प्रतियोगिता में पार्वती प्रथम, ऐश्वर्या द्वितीय और वर्षा कुशवाहा तृतीय रहीं। पूर्व माध्यमिक स्तर पर वंदना और स्वाति ने संयुक्त रूप से प्रथम, रागिनी मिश्रा ने द्वितीय और गुंजन कुशवाहा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। राज्यपाल पुरस्कृत व्याख्याता अजय कुमार चतुर्वेदी ने अतिथियों,शिक्षकों और विद्यार्थियों को विकसित भारत 2047 की शपथ दिलाई। सभी ने भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने,राष्ट्रीय एकता, नागरिक कर्तव्यों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध रहने का संकल्प लिया। व्याख्याता विजय भारती ने आभार व्यक्त किया। आयोजन में विद्यालय के समस्त स्टाफ का सहयोग रहा।

CMYK

पॉक्सो प्रकरण में महेन्द्र पाण्डेय दोषमुक्त....

अभियोजन आरोप संदेह से परे साबित नहीं कर सका

विशेष न्यायालय का फैसला...पीड़िता की आयु नाबालिग मानी गई...लेकिन बयान में विरोधाभास...

-संवाददाता-
जशपुर/कोरिया,20 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

विशेष न्यायालय,जशपुर ने पॉक्सो से जुड़े एक प्रकरण में आरोपी महेन्द्र पाण्डेय को भारतीय दंड संहिता की धारा 294,506 भाग-दो, 509 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है,न्यायालय ने उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के परीक्षण के बाद माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को उस स्तर तक प्रमाणित नहीं कर सका,जहां आरोपी को दोषी ठहराने के लिए आवश्यक संदेह से परे प्रमाण स्थापित हो। अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का आदेश दिया।

मामला उस समय का है,जब शिकायतकर्ता की पुत्री जशपुर क्षेत्र के एक शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत थी,अभियोजन की ओर से आरोप लगाया गया था कि आरोपी द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से पीड़िता से संपर्क किया जाता था और उसके साथ कथित रूप से अश्लील बातचीत की जाती थी, शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि विरोध करने पर गाली-गलौज तथा धमकी दी गई,मामले की शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की और बाद में अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

आरोपों की जांच में कई पहलुओं पर हुआ साक्ष्यों का परीक्षण-प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य तथा मामले से जुड़े अन्य रिकॉर्ड का परीक्षण किया,बचाव पक्ष की ओर से गवाहों के बयानों में विरोधाभास और अभियोजन की कहानी की पुष्टि करने वाले स्वतंत्र साक्ष्यों की कमी का मुद्दा उठाया गया,अदालत के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या अभियोजन द्वारा लगाए गए आरोप उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस स्तर तक सिद्ध होते हैं कि आरोपी को दोषी ठहराया जा सके,न्यायालय ने साक्ष्यों को अलग-अलग देखने के बजाय पूरे मामले को समग्र रूप से परखा।

पीड़िता की आयु को लेकर दस्तावेजों का परीक्षण-प्रकरण में पीड़िता की आयु भी महत्वपूर्ण मुद्दा रही, न्यायालय ने विद्यालयीन रिकॉर्ड सहित उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया,उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने घटना के समय पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम होना स्वीकार किया,हालांकि, न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि पीड़िता की नाबालिग आयु स्थापित हो जाने मात्र से आरोपी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप स्वतः सिद्ध नहीं हो जाते,अभियोजन को प्रत्येक आरोपित कृत्य के आवश्यक तत्वों को स्वतंत्र और विश्वसनीय साक्ष्यों से साबित करना आवश्यक है,यही बिंदु इस मामले में महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि अदालत के सामने केवल पीड़िता की आयु का प्रश्न नहीं था,बल्कि आरोपी पर लगाए गए विशिष्ट आरोपों की प्रमाणिकता भी जांच के दायरे में थी।

शिकायत दर्ज कराने में हुई देरी पर भी अदालत की नजर-न्यायालय ने शिकायत दर्ज कराने में हुए विलंब को भी साक्ष्यों के मूल्यांकन के दौरान ध्यान में रखा,अभियोजन की ओर से देरी के कारण के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया,लेकिन अदालत ने उसे पर्याप्त रूप से संतोषजनक नहीं माना,शिकायत में देरी अपने आप में किसी मामले को झूठा साबित नहीं करती,लेकिन जब अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों में भी विरोधाभास या कमी सामने आए तो अदालत के लिए प्रत्येक परिस्थिति का समग्र मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है,इसी दृष्टिकोण से न्यायालय ने शिकायत में हुई देरी को भी अन्य साक्ष्यों के साथ जोड़कर देखा।

माता-पिता प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे-मामले में पीड़िता के माता-पिता के बयान भी अभियोजन के साक्ष्य का हिस्सा रहे। हालांकि, वे कथित घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे,उनके बयान मुख्य रूप से पीड़िता से मिली जानकारी और उसके बाद की परिस्थितियों पर आधारित थे,न्यायालय ने ऐसे बयानों को भी मुख्य घटना से संबंधित प्रत्यक्ष साक्ष्य के बजाय परिस्थितिजन्य एवं सुनी-सुनाई जानकारी के रूप में परीक्षण किया,जब मुख्य गवाही में विरोधाभास सामने आए और तकनीकी साक्ष्य से भी कथित मोबाइल बातचीत की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई, तब अभियोजन के अन्य साक्ष्यों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई।

अभियोजन को साबित करना था अपराध, केवल संभावना नहीं-न्यायालय ने आपराधिक मामलों में लागू मूल सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कहा कि आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन को अपराध संदेह से परे साबित करना होता है,केवल यह संभावना कि घटना अभियोजन के बताए तरीके से हुई हो सकती है,दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होती, इस मामले में अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए पाया कि आरोपों के आवश्यक तत्व उस स्तर तक प्रमाणित नहीं हुए,जिससे आरोपी को दोषी ठहराया जा सके,गवाह के बयान, शिकायत में देरी,मोबाइल बातचीत की स्वतंत्र पुष्टि का अभाव और अन्य परिस्थितियों को संयुक्त रूप से देखने के बाद अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देना उचित माना।

पीड़िता के बयान में सामने आए विरोधाभास

न्यायालय में पीड़िता के बयान और प्रतिपरीक्षण को मामले का महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया। प्रतिपरीक्षण के दौरान पीड़िता ने घटना की निश्चित तारीख और वर्ष के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं होने की बात कही,उसके बयान में आरोपी द्वारा कथित रूप से दी गई धमकी तथा अन्य आरोपित कृत्यों को लेकर भी ऐसे तथ्य सामने आए,जिन्हें अभियोजन की मूल कहानी के साथ जोड़ना आसान नहीं था,रिकॉर्ड के अनुसार पीड़िता ने यह भी कहा कि आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी नहीं दी थी,इसी तरह छेड़छाड़ से संबंधित आरोप की भी उसके बयान से स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई,न्यायालय ने इन बयानों को मामले के अन्य साक्ष्यों के साथ रखकर देखा और पाया कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत कहानी के महत्वपूर्ण हिस्सों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक स्तर पर नहीं हो सकी।

मोबाइल बातचीत का स्वतंत्र प्रमाण भी नहीं आया सामने...

मामले में मोबाइल फोन से बातचीत का आरोप महत्वपूर्ण था,अभियोजन के अनुसार आरोपी द्वारा मोबाइल के माध्यम से पीड़िता से संपर्क किया जाता था,लेकिन न्यायालय के समक्ष कथित बातचीत की स्वतंत्र तकनीकी पुष्टि के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका, विशेष रूप से कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) जैसे तकनीकी साक्ष्य का अभाव भी मामले में महत्वपूर्ण रहा,आरोपी के जिस मोबाइल नंबर से कथित बातचीत किए जाने की बात कही गई थी,उसकी पुष्टि भी न्यायालय के समक्ष पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं हो सकी,ऐसे मामलों में मौखिक बयान के साथ तकनीकी साक्ष्य अभियोजन के मामले को मजबूत कर सकते हैं,लेकिन इस प्रकरण में मोबाइल बातचीत के आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाने से अभियोजन की कहानी को अपेक्षित मजबूती नहीं मिल सकी।

फैसले ने जांच और अभियोजन की गुणवत्ता पर भी छोड़े सवाल...

न्यायालय का फैसला इस बात को भी रेखांकित करता है कि गंभीर प्रकृति के मामलों में केवल प्राथमिकी और मौखिक आरोप पर्याप्त नहीं होते, जांच के दौरान उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों को सुरक्षित करना,मोबाइल नंबर और बातचीत की पुष्टि करना,घटनाक्रम की समय-सीमा स्पष्ट करना तथा गवाहों के बयानों में सामंजस्य स्थापित करना अभियोजन के लिए महत्वपूर्ण होता है,इस मामले में अदालत के सामने प्रस्तुत साक्ष्यों में जो कमियां और विरोधाभास सामने आए,वे आरोपी को संदेह का लाभ मिलने का आधार बने,हालांकि,न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषमुक्त किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि शिकायत या घटना के संबंध में लगाए गए प्रत्येक आरोप को न्यायालय ने झूठा घोषित किया है,फैसला मुख्य रूप से इस सवाल पर आधारित है कि क्या अभियोजन उपलब्ध साक्ष्यों से आरोपों को आपराधिक न्याय के आवश्यक मानक...संदेह से परे...तक साबित कर पाया,न्यायालय का उत्तर अभियोजन के पक्ष में नहीं रहा और इसी आधार पर महेन्द्र पाण्डेय को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया।

सभी आरोपों से किया दोषमुक्त

अंततः विशेष न्यायालय ने कोरिया के पत्रकार महेन्द्र पाण्डेय को धारा 294, धारा 506 भाग-दो,धारा 509 भारतीय दंड संहिता तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया,इस फैसले का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अदालत ने पीड़िता की आयु को लेकर अभियोजन के दस्तावेजों को स्वीकार किए जाने के बावजूद आरोपी के खिलाफ लगाए गए आपराधिक आरोपों को अलग से प्रमाणित करने की आवश्यकता पर जोर दिया,यानी नाबालिग होने का तथ्य अपने आप में आरोपी की दोषसिद्धि का आधार नहीं बना।

कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने बूथों तक पहुंच रहे भाजपा जिलाध्यक्ष

कागजी रिपोर्ट के बजाय जमीनी स्थिति जानने पर जोर,बूथ समितियों का कर रहे सत्यापन,कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद लेकर संगठन की सक्रियता परखी

-संवाददाता-
बैकुंठपुर,20 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

कोरिया भाजपा में बूथ स्तर की संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर जिला नेतृत्व की सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है, भाजपा जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी जिला और मंडल स्तर की बैठकों तक सीमित रहने के बजाय अब सीधे बूथों तक पहुंचकर संगठन की स्थिति का जायजा ले रहे हैं,उनके बूथ प्रवास के दौरान समितियों के सत्यापन के साथ कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी ली जा रही है। जिलाध्यक्ष के इन दौरों का एक प्रमुख पहलू यह है कि बूथ समितियों की स्थिति केवल मंडल या जिला स्तर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जानने के बजाय वे स्वयं कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर स्थिति समझने का प्रयास कर रहे हैं,बूथ स्तर पर समिति में शामिल कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी सक्रियता, संगठनात्मक गतिविधियों और स्थानीय स्तर पर सामने आने वाली जरूरतों की जानकारी ली जा रही है।

बूथ समितियों का स्वयं कर रहे सत्यापन-भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में बूथ को महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है,इसी को ध्यान में रखते हुए जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी बूथों तक पहुंचकर समिति के सदस्यों से मिल रहे हैं,इस दौरान समिति के गठन, कार्यकर्ताओं की उपलब्धता और संगठन की गतिविधियों को लेकर जानकारी ली जा रही है, इस तरह के प्रत्यक्ष संवाद से जिला नेतृत्व को बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधे फीडबैक मिलने का अवसर मिल रहा है, साथ ही कार्यकर्ताओं को भी संगठन से जुड़े विषयों और अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को जिला नेतृत्व तक सीधे पहुंचाने का अवसर मिल रहा है।

पटना के बाद शिवपुर-चरचा मंडल पर फोकस-जिलाध्यक्ष ने बूथ स्तर के दौरे की शुरुआत पटना मंडल से की और अब शिवपुर-चरचा मंडल के बूथों तक पहुंच रहे हैं, शिवपुर-चरचा क्षेत्र में भाजपा संगठन की गतिविधियों को लेकर पहले भी बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं,अगस्त में वार्ड क्रमांक 6 में आयोजित भाजपा की बैठक में संगठन की मजबूती और आगामी गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई थी,इस बैठक में जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी भी शामिल हुए थे, अब उनका बूथ स्तर पर पहुंचना इसी संगठनात्मक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है।

बैठक से आगे बढ़कर सीधे कार्यकर्ताओं के बीच-आमतौर पर बूथ समितियों से संबंधित जानकारी मंडल और जिला स्तर तक रिपोर्ट के माध्यम से पहुंचती है,लेकिन जिलाध्यक्ष का स्वयं बूथों तक जाकर कार्यकर्ताओं से मिलना संगठन की स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से समझने की प्रक्रिया का हिस्सा है,बूथ पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि संगठन की गतिविधियां किस तरह संचालित हो रही हैं और समिति के सदस्य किस स्तर पर सक्रिय हैं,स्थानीय कार्यकर्ताओं से मिलने वाले फीडबैक को संगठनात्मक गतिविधियों की आगे की कार्ययोजना के लिए उपयोगी माना जा रहा है।

बूथ मजबूत तो संगठन मजबूत की दिशा में कवायद-भाजपा की संगठनात्मक संरचना में बूथ स्तर की भूमिका महत्वपूर्ण है,इसी वजह से पार्टी स्तर पर बूथ समितियों के सत्यापन और उन्हें सक्रिय रखने की प्रक्रिया चलती रहती है, कोरिया भाजपा में भी बूथ प्रभारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें आयोजित कर संगठन को मजबूत करने की कार्ययोजना पर चर्चा की गई है,फरवरी में आयोजित बूथ स्तरीय प्रभारियों की बैठक में भी आगामी कार्ययोजना और संगठन को मजबूत करने से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई थी,अब जिला अध्यक्ष का स्वयं बूथों तक पहुंचना इस प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम है।

कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद पर जोर-बूथ प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद इस पूरी कवायद का प्रमुख हिस्सा है,जिलाध्यक्ष कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर संगठन से संबंधित विषयों पर जानकारी ले रहे हैं,इससे जिला संगठन को बूथ स्तर की स्थिति के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी मिल रही है,वहीं कार्यकर्ताओं के लिए भी अपनी बात सीधे जिला नेतृत्व तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है।

शिवपुर-चरचा में संगठन की सक्रियता पर नजर-शिवपुर-चरचा मंडल में जिलाध्यक्ष का बूथ प्रवास ऐसे समय में हो रहा है,जब क्षेत्र में संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर बैठकों का दौर पहले से चल रहा है,हालिया बैठक में नगर पालिका क्षेत्र में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आगामी गतिविधियों को प्रभावी बनाने से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई थी, ऐसे में बूथों तक पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संवाद करना जिला संगठन के लिए स्थानीय स्तर की जानकारी जुटाने का माध्यम भी बन रहा है।

जिला नेतृत्व का सीधा फीडबैक लेने का प्रयास...

देवेन्द्र तिवारी के बूथ प्रवास से यह स्पष्ट है कि जिला नेतृत्व संगठनात्मक स्थिति की जानकारी सीधे कार्यकर्ताओं से लेने पर जोर दे रहा है,बूथ समिति कितनी सक्रिय है, कार्यकर्ताओं के बीच किस तरह का समन्वय है और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर स्थानीय स्तर पर क्या स्थिति है...इन विषयों की जानकारी बूथ स्तर के संवाद से प्राप्त की जा रही है,पटना के बाद शिवपुर-चरचा मंडल में बूथों तक पहुंचने के बाद अब नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में जिला अध्यक्ष का यह अभियान जिले के अन्य मंडलों तक किस तरह आगे बढ़ता है, फिलहाल कोरिया भाजपा में संगठनात्मक समीक्षा का फोकस बूथ स्तर पर दिखाई दे रहा है और जिला नेतृत्व कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर सीधे फीडबैक लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है।

गणपति धाम में जयघोष और महाआरती से गूंजा हाथी पखाना

नगर और आसपास के गांवों से उमड़े श्रद्धालु,विधिवत पूजा-अर्चना व हवन के बाद ग्रहण किया प्रसाद

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

हाथी पखाना स्थित प्रसिद्ध गणपति धाम में प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुरूप आयोजित भव्य महाआरती में आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। भगवान गणेश के जयघोष,मंदिर परिसर में गूंजती घंटियों, ढोल-नगाड़ों और आरती के भक्तिमय स्वर से पूरा हाथी पखाना क्षेत्र देर तक गणेशमय बना रहा। नगर सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणपति धाम पहुंचे और भगवान गणेश की विधिवत पूजा-अर्चना कर परिवार,समाज और क्षेत्र के सुख-समृद्धि एवं सर्वमंगल की कामना की। महाआरती के अवसर पर गणपति धाम का वातावरण देखते ही बन रहा था। श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश के समक्ष श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना की तथा हवन में शामिल होकर मंगलकामना की। इसके पश्चात सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर परिसर में एक ओर भगवान गणेश की आरती चल रही थी, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालु भक्ति और आस्था के वातावरण में भगवान के दर्शन कर सुख-शांति एवं समृद्धि की प्रार्थना करते नजर आए। विभिन्न समाजों एवं वर्गों से पहुंचे श्रद्धालुओं की सहभागिता ने आयोजन को और व्यापक स्वरूप दिया। महिला,पुरुष,युवा एवं ग्रामीणों के साथ नगरवासियों ने भी महाआरती में शामिल होकर धार्मिक आयोजन को श्रद्धापूर्ण बनाया। पूरे आयोजन के दौरान गणपति धाम में भक्तिमय वातावरण बना रहा।

गणपति विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता हैं : अनुराग सिंह देव

इस अवसर पर गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता के रूप में पूजा जाता है। गणपति धाम में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली महाआरती श्रद्धा और आस्था के साथ सामाजिक एकता का भी सुंदर प्रतीक है। उन्होंने भगवान गणेश से सभी के जीवन में सुख-शांति,समृद्धि और सफलता की कामना की।

आस्था का प्रमुख केंद्र बन रहा गणपति धाम : भारत सिंह सिसोदिया

समिति के संरक्षक भारत सिंह सिसोदिया ने गणपति धाम की धार्मिक महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हाथी पखाना स्थित गणपति धाम लंबे समय से श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां भगवान गणेश के दर्शन एवं पूजा-अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। महाआरती का आयोजन धार्मिक आस्था को मजबूत करने के साथ समाज को एकजुट करने का माध्यम भी बन रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा गणपति धाम क्षेत्र के विकास के लिए एक करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किए गए 'गणपति सुविधा ऐप' के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी तथा श्रद्धालुओं को इससे जुड़ी सुविधाओं के बारे में बताया।

भक्ति के साथ भाईचारे और सद्भाव का संदेश

मंच संचालन करते हुए विनोद हर्ष एवं नरेंद्र सिंह टुटेजा ने कहा कि गणपति उत्सव केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं है,बल्कि यह समाज में आपसी भाईचारे,सद्भाव और सेवा की भावना को मजबूत करने का अवसर भी है। गणपति धाम की महाआरती में समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक एकता की भावना को भी दर्शाती है। उन्होंने भगवान गणेश से सभी श्रद्धालुओं के सुख,शांति,समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की। आयोजन के अंत में समिति के अध्यक्ष शैलेष सिंह शैलू ने महाआरती में शामिल हुए अतिथियों,श्रद्धालुओं,ग्रामीणों एवं नगरवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

CMYK

सहकारिता का नया फार्मूला...पंजी नई रखो, सचिव एक दिन का रखो और भुगतान कर दो!

सहकारिता में 'वन डे सचिव' मॉडल! नई पंजी से कर्मचारी वापसी और फिर लाखों का भुगतान

पंजी बदली तो कहानी बदली! सोनपुर समिति में हर बैठक के साथ नया अध्याय

'नई पंजी' का कमाल...एक दिन का सचिव आया,कर्मचारी लौटा और खाते से लाखों निकले!

पुरानी पंजी शायद भारी पड़ गई! सोनपुर में नई पंजी के सहारे फैसलों पर सवाल...

पुरानी कार्यवाही पंजी शायद अब बोझ लगने लगी है,जब जरूरत पड़ी नई पंजी खुली,एक दिन का कार्यवाहक आया और फिर समिति के खाते से लाखों की राह भी खुल गई!

सोनपुर समिति में 7 अगस्त के बाद 5 सितंबर को फिर नई कार्यवाही पंजी का खेल?

पहले विवादित कर्मचारी की वापसी,फिर लंबित वेतन के नाम पर भुगतान—7 अगस्त को अनुमति के बाद भुगतान की बात थी तो 5 सितंबर को किस अनुमति से खुला खजाना?

विवेक की वापसी से लाखों के भुगतान तक....सोनपुर समिति में दस्तावेजों की जांच पर सवाल

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर/भैयाथान,20 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। सहकारिता विभाग में नियमों की किताब शायद इतनी मोटी हो गई है कि उसे पढ़ने के बजाय अब नई कार्यवाही पंजी खोलना ज्यादा आसान लगने लगा है,कम से कम आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सोनपुर से सामने आए घटनाक्रम को देखकर तो यही व्यंग्यात्मक सवाल उठता है की यहां मामला सिर्फ किसी कर्मचारी की नियुक्ति या वेतन भुगतान का नहीं है,बल्कि सवाल उस पूरी व्यवस्था पर है जहां पुरानी कार्यवाही पंजी मौजूद होने के बावजूद नई पंजी सामने आती है,एक दिन के लिए कार्यवाहक सचिव/प्रबंधक की व्यवस्था होती है, विवादित कर्मचारी की वापसी का रास्ता खुलता है और कुछ समय बाद फिर नई पंजी में लाखों रुपये के भुगतान का निर्णय सामने आ जाता है,सवाल यह नहीं कि कर्मचारी को वेतन मिलना चाहिए या नहीं,सवाल यह है कि नियमों के दरवाजे से भुगतान हुआ या पंजी के पिछले दरवाजे से? और यदि सब कुछ नियमों के मुताबिक था तो फिर इतनी नई-नई पंजी की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? सोनपुर समिति से जुड़े दस्तावेजों और सामने आए आरोपों के आधार पर पूरा घटनाक्रम अब सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर रहा है,खासकर बैंक शाखा भैयाथान के शाखा प्रबंधक एवं समिति के प्राधिकृत अधिकारी श्यामलाल सिंह की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इन आरोपों की अंतिम पुष्टि सक्षम विभागीय जांच और मूल अभिलेखों के परीक्षण से ही होगी।

पहला अध्याय—6 अगस्त की सूचना,मगर एजेंडा का रहस्य बरकरार!- सूत्रों के द्वारा बताया गया है कि श्यामलाल सिंह द्वारा 6 अगस्त 2026 को बोर्ड बैठक के लिए सूचना जारी की गई,अब यहां से सहकारिता की कहानी में पहला रोचक मोड़ आता है, बोर्ड की बैठक होनी थी तो एजेंडा क्या था? क्या सदस्यों को पहले से बताया गया था कि बैठक में कर्मचारी की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति पर चर्चा होगी? क्या यह बताया गया था कि किसी विवादित कर्मचारी को वापस सेवा में लेने का प्रस्ताव आएगा? क्या वित्तीय भुगतान पर निर्णय होना था? या फिर बैठक का एजेंडा इतना गोपनीय था कि बोर्ड सदस्य बैठक में पहुंचने के बाद ही जानें कि आज कौन-सा अध्याय लिखा जाना है? यदि एजेंडा स्पष्ट था तो उसका रिकॉर्ड सामने आना चाहिए, यदि स्पष्ट नहीं था तो इतनी महत्वपूर्ण कार्रवाई किस आधार पर हुई, यह जांच का विषय होना चाहिए था,क्योंकि बोर्ड बैठक कोई चाय की बैठक नहीं होती कि लोग बैठे, चर्चा की और जो मन आया लिख दिया, बोर्ड बैठक संस्था के आधिकारिक निर्णयों का आधार होती है।

दूसरा अध्याय—7 अगस्त को पुरानी पंजी ने क्या बिगाड़ा था?- 7 अगस्त 2026 को बोर्ड की बैठक हुई और आरोप है कि नई कार्यवाही पंजी संधारित की गई, यहीं सहकारिता के इस नए फार्मूले का जन्म होता दिखाई देता है की पुरानी पंजी है तो नई पंजी बनाओ,सचिव चाहिए तो एक दिन का सचिव बनाओ, प्रस्ताव चाहिए तो प्रस्ताव पारित करो, और फिर नियम पूछने वाला आए तो पंजी दिखाओ! व्यंग्य अपनी जगह है,लेकिन सवाल गंभीर है,यदि संस्था की मूल कार्यवाही पंजी मौजूद थी तो नई पंजी क्यों? क्या पुरानी पंजी में जगह खत्म हो गई थी? क्या पुरानी पंजी किसी जांच में थी? क्या उसे किसी सक्षम अधिकारी ने जब्त किया था? क्या पुरानी पंजी उपलब्ध नहीं थी? या फिर किसी खास कार्यवाही को अलग पंजी में दर्ज करना अधिक सुविधाजनक समझा गया? इन सवालों का जवाब समिति के रिकॉर्ड से मिल सकता है।

फिर आया 5 सितंबर—नई पंजी का दूसरा एपिसोड!- कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, 5 सितंबर 2026 को फिर नई कार्यवाही पंजी संधारित किए जाने का आरोप है, यानी 7 अगस्त की पंजी के बाद 5 सितंबर को फिर एक नई पंजी,अब यह सवाल और बड़ा हो गया...हर बैठक में नई पंजी क्यों? क्या पुरानी पंजी बैठक समाप्त होते ही सेवानिवृत्त हो जाती है? क्या सहकारिता में अब पंजी भी कार्यवाहक सचिव की तरह 'एक दिन की' हो गई है? या फिर हर महत्वपूर्ण फैसले के लिए नया पन्ना नहीं, पूरी नई किताब जरूरी हो गई है? व्यंग्य छोड़ दें तो यह जांच का गंभीर विषय है।

एक साल से अधिक अनुपस्थिति का वेतन...'काम नहीं तो वेतन' का नया अध्याय?-सबसे गंभीर सवाल उन कर्मचारियों को लेकर भी है जिन्हें कथित तौर पर एक वर्ष से अधिक समय तक संस्था के काम से अनुपस्थित रहने की अवधि का वेतन दिए जाने की बात कही जा रही है,यदि कर्मचारी संस्था में उपस्थित नहीं था तो वेतन किस आधार पर? अगर वह अधिकृत अवकाश पर था तो उसका रिकॉर्ड कहां है? यदि उसकी अनुपस्थिति स्वीकृत थी तो आदेश कहां है? यदि वह सेवा में था लेकिन काम पर नहीं था तो उपस्थिति पंजी क्या कहती है? यदि भुगतान वैधानिक था तो वेतन निर्धारण किस अधिकारी ने किया? और यदि उच्च कार्यालय की अनुमति जरूरी थी तो वह अनुमति कहां है? सहकारिता की भाषा में इसे नियम कहते हैं, लेकिन यदि दस्तावेजों के बिना भुगतान हुआ है तो इसे समझने के लिए विभागीय जांच जरूरी होगी।

श्यामलाल सिंह की भूमिका पर इसलिए उठ रहे हैं सवाल-श्यामलाल सिंह बैंक शाखा भैयाथान के शाखा प्रबंधक और सोनपुर समिति के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में किस सीमा तक निर्णय लेने के लिए अधिकृत थे,यह संबंधित बैंक नियमों, समिति के उपनियमों और उन्हें दिए गए अधिकार-पत्र से तय होगा,लेकिन आरोप यह है कि उनके कार्यकाल में समिति के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में लगातार ऐसे निर्णय हुए जिनकी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं,इसलिए असली जांच यह होनी चाहिए कि किस आदेश के तहत कौन-सा अधिकार दिया गया था? किसने बोर्ड बैठक की सूचना जारी की? किसने एजेंडा तय किया? किसने नई कार्यवाही पंजी खोली? किसने कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया? किसने कर्मचारी को पुनःसेवा में लेने का प्रस्ताव तैयार किया? किसने वेतन भुगतान का प्रस्ताव रखा? किसने बैंक भुगतान स्वीकृत किया? और किस अधिकारी ने अंतिम स्तर पर उसकी जांच की? जवाब देही का रास्ता यहीं से निकलेगा।

एक दिन का कार्यवाहक सचिव...सहकारिता में 'वन डे सर्विस' का नया मॉडल?

7 अगस्त की बैठक में एक दिन के लिए कार्यवाहक सचिव/प्रबंधक नियुक्त किए जाने का भी आरोप है,अब सहकारिता के इस मॉडल पर सवाल उठना स्वाभाविक है, एक दिन के लिए सचिव! यानी संस्था के महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं तो स्थायी व्यवस्था की जरूरत नहीं...एक दिन का इंतजाम करो और काम पूरा करो,अगर यह व्यवस्था नियमों के अनुसार थी तो उसका आदेश कहां है? कार्यवाहक सचिव की नियुक्ति किस आधार पर हुई? उस दिन उसे कौन-कौन से अधिकार दिए गए थे? क्या वह समिति के प्रशासनिक और वित्तीय निर्णय लेने के लिए अधिकृत था? क्या बैंक खाते से भुगतान संबंधी प्रक्रिया में उसकी भूमिका निर्धारित थी? और सबसे महत्वपूर्ण...क्या यह व्यवस्था पहले से निर्धारित थी या बैठक के दौरान तत्काल बनाई गई? यदि दस्तावेज मौजूद हैं तो जांच में सब कुछ स्पष्ट हो सकता है।

विवेक चौरसिया की वापसी...पुरानी नियुक्ति की फाइल कहां गई?

इसी बैठक में विवादित कर्मचारी विवेक कुमार चौरसिया को पुनः कार्य पर रखने का निर्णय लिए जाने का आरोप है,यहां सवाल कर्मचारी के खिलाफ या पक्ष में खड़ा होना नहीं है, सवाल है की उन्हें वापस लेने से पहले उनकी मूल नियुक्ति की फाइल खोली गई या नहीं? यदि उनकी नियुक्ति पहले से विवादित थी तो क्या देखा गया कि नियुक्ति के समय विज्ञापन निकला था या नहीं? पद स्वीकृत था या नहीं? आवेदन प्राप्त हुए थे या नहीं? चयन प्रक्रिया हुई थी या नहीं? बोर्ड की स्वीकृति थी या नहीं? नियुक्ति आदेश जारी हुआ था या नहीं? और सबसे महत्वपूर्ण...क्या वह समिति के नियमित स्वीकृत कर्मचारी थे? यदि इन दस्तावेजों का परीक्षण किया गया था तो सवाल खत्म,लेकिन यदि बिना फाइल देखे केवल किसी पुराने आदेश के आधार पर कर्मचारी को वापस लिया गया,तो फिर सवाल यह है कि सहकारिता में नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया की जरूरत ही क्यों है?

5 सितंबर की बैठक में कर्मचारियों को बुलाया गया और फिर खुला भुगतान का रास्ता...

आरोप के अनुसार 5 सितंबर को समिति के चिन्हांकित कर्मचारियों को बैंक शाखा में बुलाया गया और फिर नई कार्यवाही पंजी में बैठक की कार्रवाई दर्ज की गई,बैठक संचालन के लिए नया सचिव/प्रबंधक नियुक्त किया गया,इसके बाद कर्मचारियों के पूर्व लंबित वेतन के नाम पर समिति के बचत खाते से भुगतान करने का निर्णय लिया गया,बताया गया है कि चेक जारी किए गए और संबंधित कर्मचारियों के खातों में उसी दिन लाखों रुपये की राशि का भुगतान किया गया,अब यहां सहकारिता के नियमों की असली परीक्षा शुरू होती है,क्या भुगतान से पहले वेतन की पूरी देनदारी जांची गई? क्या कर्मचारियों की उपस्थिति देखी गई? क्या अनुपस्थिति अवधि का सत्यापन हुआ? क्या सेवा पुस्तिका देखी गई? क्या वेतन बिल तैयार हुआ? क्या भुगतान का सक्षम अधिकारी से अनुमोदन हुआ? क्या उच्च कार्यालय की अनुमति जरूरी थी? और यदि जरूरी थी तो क्या अनुमति ली गई?

7 अगस्त का प्रस्ताव ही 5 सितंबर के भुगतान का सबसे बड़ा सवाल...

सबसे महत्वपूर्ण बात उस प्रस्ताव को लेकर है जिसे 7 अगस्त की बैठक में पारित किए जाने की बात सामने आ रही है,बताया गया है कि प्रस्ताव क्रमांक 9 में विवेक चौरसिया की पृथक अवधि के वेतन भुगतान के लिए उप पंजीयक,सहकारी संस्थाएं, सूरजपुर से अनुमति प्राप्त करने के बाद भुगतान किए जाने की बात दर्ज थी,अब सवाल बिल्कुल सीधा है क्या अनुमति ली गई? अगर हां,तो आदेश क्रमांक क्या है? कब मिला? किस अधिकारी ने अनुमति दी? कितनी राशि के भुगतान की अनुमति दी? क्या वही राशि भुगतान की गई? क्या अनुमति की प्रति समिति की फाइल में है? अगर अनुमति नहीं ली गई तो फिर 5 सितंबर को भुगतान किस आधार पर किया गया? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी राजनीतिक बयान या मौखिक सफाई से नहीं,एक कागज से दिया जा सकता है।

नई पंजी अब सबसे बड़ा किरदार क्यों बन गई?- पूरे मामले में यदि किसी एक चीज ने सबसे ज्यादा सवाल पैदा किए हैं तो वह है...कार्यवाही पंजी,क्योंकि पंजी सिर्फ कागज नहीं है,उसमें संस्था के निर्णयों का इतिहास दर्ज होता है, कौन-सी बैठक कब हुई? किसने भाग लिया? कौन-सा प्रस्ताव आया? किसने समर्थन किया? क्या निर्णय हुआ? किस आधार पर निर्णय हुआ? यही पंजी भविष्य में किसी भी जांच की पहली सीढ़ी बनती है, ऐसे में यदि किसी संस्था में बार-बार नई कार्यवाही पंजी तैयार होती है तो सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए कि मूल पंजी कहां है और नई पंजी किस अधिकार से बनाई गई?

अगर सब कुछ नियम से था तो जांच से डर कैसा?-यहां सहकारिता विभाग के लिए भी एक सीधा सवाल है, यदि 7 अगस्त की बैठक नियमसम्मत थी, तो उसकी पूरी कार्यवाही जांची जाए,यदि 5 सितंबर की बैठक नियमसम्मत थी, तो उसकी पूरी कार्यवाही जांची जाए,यदि भुगतान वैध था तो भुगतान से जुड़े दस्तावेज सामने रखे जाएं,यदि विवेक चौरसिया की पुनर्नियुक्ति वैधानिक थी तो उनकी मूल नियुक्ति की पूरी फाइल जांची जाए,यदि एक दिन के कार्यवाहक सचिव की नियुक्ति वैध थी तो उसका आदेश दिखाया जाए,और यदि उच्च कार्यालय की अनुमति लेकर भुगतान हुआ था तो वह अनुमति सामने रखी जाए,दस्तावेज सामने आते ही आधे सवाल अपने आप खत्म हो जाएंगे।

अब सवाल 'किसका आदमी' नहीं, 'किसका आदेश' होना चाहिए-

ऐसे मामलों में अक्सर चर्चा इस बात पर पहुंच जाती है कि अधिकारी किसके करीब है,किसके प्रभाव में है या किसके संरक्षण में काम कर रहा है,लेकिन बिना प्रमाण किसी मंत्री, विधायक या अधिकारी पर संरक्षण देने का आरोप लगाना उचित नहीं होगा,इसलिए जांच का रास्ता सरल होना चाहिए,किसका आदेश था? किस फाइल पर हस्ताक्षर थे? किसने अनुमति दी? किसने प्रस्ताव पारित किया? किसने भुगतान स्वीकृत किया? किसके हस्ताक्षर से चेक जारी हुआ? बैंक ने किस आधार पर भुगतान किया? इन सवालों के जवाब अगर दस्तावेजों में मिल जाते हैं तो संरक्षण की चर्चा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

सहकारिता में 'कुर्सी' स्थायी, सचिव अस्थायी और पंजी नई...व्यवस्था किसकी?-पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा व्यंग्य शायद यही है कि समिति में कुर्सी स्थायी दिखाई देती है, सचिव अस्थायी हो जाता है और कार्यवाही पंजी नई,कर्मचारी की नियुक्ति विवादित हो सकती है,सेवा समाप्त हो सकती है, फिर वापस आ सकता है, कार्यवाहक सचिव एक दिन के लिए आ सकता है,पंजी बदली जा सकती है, बैठक फिर हो सकती है,और अंत में समिति के खाते से भुगतान भी हो सकता है, लेकिन सवाल वही रह जाता है–नियम कहां है? अगर नियम मौजूद है तो लागू क्यों नहीं दिख रहा? अगर लागू हुआ है तो दस्तावेज कहां हैं? अगर दस्तावेज हैं तो जांच में सामने क्यों नहीं आते?

सरकारी पैसा हो या किसानों का पैसा...जवाबदेही जरूरी-

सहकारी समितियों का पैसा केवल किसी एक व्यक्ति या अधिकारी का पैसा नहीं होता, इसमें किसानों, सदस्यों और संस्थागत वित्तीय संसाधनों का हित जुड़ा होता है,इसलिए समिति के खाते से निकलने वाला प्रत्येक बड़ा भुगतान जांच की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए,यह कहना पर्याप्त नहीं कि भुगतान वेतन का था,यह साबित करना होगा कि वेतन वास्तव में देय था, कितनी अवधि का देय था,कर्मचारी उस अवधि में किस स्थिति में था,भुगतान की गणना कैसे हुई और भुगतान की अनुमति किसने दी।

अब जांच की दिशा तय होनी चाहिए...दो पंजी से बैंक खाते तक

सोनपुर मामले में यदि विभाग निष्पक्ष जांच करना चाहता है तो 6 अगस्त की बैठक सूचना से लेकर 5 सितंबर के बैंक भुगतान तक पूरी फाइल खोलनी होगी,7 अगस्त की मूल एवं नई कार्यवाही पंजी का मिलान होना चाहिए,5 सितंबर की नई पंजी की जांच होनी चाहिए,दोनों बैठकों में शामिल सदस्यों के हस्ताक्षर और उपस्थिति का मिलान होना चाहिए,कार्यवाहक सचिव की नियुक्ति का आदेश देखा जाना चाहिए,विवेक चौरसिया की मूल नियुक्ति फाइल और पुनः कार्य पर रखने की प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए, कर्मचारियों की उपस्थिति और वेतन रिकॉर्ड का मिलान होना चाहिए,और सबसे महत्वपूर्ण–5 सितंबर को समिति के खाते से निकली प्रत्येक राशि का बैंक स्टेटमेंट,चेक, वाउचर और संबंधित कर्मचारी के खाते में पहुंची राशि से मिलान होना चाहिए,तभी पता चलेगा कि मामला नियमसम्मत भुगतान का था या प्रक्रिया में गंभीर चूक हुई।

सबसे बड़ा सवाल...क्या सहकारिता में नियम किताब में और फैसले पंजी में अलग-अलग लिखे जा रहे हैं?

सोनपुर का मामला अब केवल एक कर्मचारी,एक सचिव या एक बैठक का मामला नहीं रह गया है,यह सवाल बन गया है कि क्या सहकारी संस्थाओं में रिकॉर्ड और प्रक्रिया की निगरानी वास्तव में उतनी ही मजबूत है जितनी कागजों पर दिखाई देती है? क्योंकि अगर पुरानी पंजी रहते हुए नई पंजी बनती है,फिर उसी नई पंजी में कर्मचारी वापस आता है,फिर दूसरी नई पंजी बनती है और उसी में समिति के खाते से लाखों रुपये के भुगतान का रास्ता तैयार होता है,तो सवाल उठना स्वाभाविक है,सहकारिता में आखिर चल क्या रहा है...नियम, निर्णय या 'नई पंजी का नया अध्याय'? और यदि यह सब नियमों के अनुसार हुआ है तो संबंधित अधिकारी और समिति के जिम्मेदारों के लिए सबसे आसान रास्ता यही है कि मूल दस्तावेज सार्वजनिक जांच के सामने रख दें,क्योंकि इस मामले में अब सवाल किसी एक कर्मचारी के वेतन का नहीं है,सवाल यह है कि समिति की कार्यवाही पंजी किसकी है, निर्णय किसके हैं,पैसा किसका है और जवाबदेही आखिर किसकी है? यही चार सवाल सोनपुर समिति की पूरी कहानी का असली हिसाब खोल सकते हैं।

सीएमएचओ डॉ. केडी पैकरा की विदाई, नवपदस्थ सीएमएचओ डॉ. प्रशांत सिंह का स्वागत

जिला चिकित्सालय के सभा कक्ष में आयोजित हुआ विदाई एवं स्वागत समारोह

डॉ. केडी पैकरा
(पूर्व सीएमएचओ, सूरजपुर)
अब सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक (जेडी)

डॉ. प्रशांत सिंह
(नवपदस्थ सीएमएचओ, सूरजपुर)
पहले सीएमएचओ, कोरिया

बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मिलकर काम करने का संकल्प | जनता को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा हमारी प्राथमिकता | स्वस्थ सूरजपुर हमारी जिम्मेदारी | "सेवा, समर्पण और सद्भाव के साथ बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था"

जिला चिकित्सालय में हुआ विदाई एवं स्वागत समारोह,नवपदस्थ सीएमएचओ बोले...मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा दिलाना प्राथमिकता

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,20 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। जिला चिकित्सालय के सभाकक्ष में पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सी एम एच ओ) डॉ. कपिल देव पैकरा के विदाई समारोह एवं नवपदस्थ सीएमएचओ डॉ. प्रशांत सिंह के स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कार्यक्रम में जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों ने दोनों अधिकारियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया और नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दीं,इस दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने कार्यकाल के अनुभव साझा किए तथा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की बात कही।

तबादले के बाद बदली जिम्मेदारियां-राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग में किए गए तबादलों के बाद सूरजपुर के सीएमएचओ डॉ. कपिल देव पैकरा को सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक (जेडी) की जिम्मेदारी सौंपी गई है,वहीं कोरिया जिले के सीएमएचओ डॉ. प्रशांत सिंह को सूरजपुर का नया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किया गया है, इसी क्रम में सूरजपुर जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉ. जगसाय राम सरुता को सरगुजा जिले का सीएमएचओ बनाया गया है,पदस्थापना में बदलाव के बाद जिला चिकित्सालय के सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों ने नवपदस्थ सीएमएचओ डॉ. प्रशांत सिंह का स्वागत किया और पूर्व सीएमएचओ डॉ. पैकरा को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।

डॉ. पैकरा का स्वास्थ्य विभाग में लंबा अनुभव

डॉ. कपिल देव पैकरा की प्रथम नियुक्ति 28 मार्च 2006 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आस्ता, जशपुर में हुई थी, इसके बाद उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंद्रा में अपनी सेवाएं दीं। आगे चलकर उन्होंने सूरजपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी संभाली,सूरजपुर में अपने कार्यकाल के बाद अब उन्हें सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक के रूप में नई जिम्मेदारी मिली है, विदाई समारोह में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनके साथ कार्य करने के अनुभव साझा किए और उनके कार्यकाल से जुड़े संस्मरणों को याद किया।

करीब दो वर्ष के कार्यकाल को किया याद...

विदाई समारोह में जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉ. अजय मरकाम ने डॉ. केडी पैकरा के साथ किए गए कार्यों के अनुभव साझा किए,उन्होंने डॉ. पैकरा को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संभाग के संयुक्त संचालक का दायित्व महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है,जिसे वे बेहतर ढंग से निभाएंगे,डॉ. अजय मरकाम ने कहा कि डॉ. पैकरा लगभग दो वर्षों तक उनके बीच रहे,इस दौरान उनके साथ कार्य करने का अनुभव अच्छा रहा। उन्होंने कहा कि डॉ. पैकरा की विशेषताओं में किसी भी समस्या का धैर्यपूर्वक समाधान करना और सभी को साथ लेकर चलना प्रमुख रहा,उन्होंने कहा कि डॉ. पैकरा के मार्गदर्शन का लाभ आगे भी मिलता रहेगा। स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने तथा आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य करती रहेगी।

डॉ. प्रशांत सिंह ने संभाली नई जिम्मेदारी-नवपदस्थ सीएमएचओ डॉ. प्रशांत सिंह की प्रथम पदस्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रेमनगर में हुई थी,इसके बाद उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विश्रामपुर में प्रभारी एवं बीएमओ के रूप में जिम्मेदारी निभाई,आगे उन्हें कोरिया जिले में सीएमएचओ की जिम्मेदारी सौंपी गई,अब राज्य सरकार ने उन्हें सूरजपुर जिले का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किया है, स्वागत समारोह के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने डॉ. प्रशांत सिंह को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं और उनके साथ बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने की बात कही।

जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता-नव नियुक्त सीएमएचओ डॉ. प्रशांत सिंह ने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना और जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी,उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ बेहतर समन्वय बनाकर शासन की स्वास्थ्य योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा,उन्होंने कहा कि प्रयास रहेगा कि जिले के प्रत्येक नागरिक को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके।

डॉ. जगसाय राम सरुता को सरगुजा सीएमएचओ की जिम्मेदारी-सूरजपुर जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉ. जगसाय राम सरुता को सरगुजा जिले का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बनाया गया है,उनकी प्रथम नियुक्ति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छुई, छिंदवाड़ा में हुई थी,इसके बाद उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कदरई,सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विश्रामपुर और अंबिकापुर में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाईं, इसके बाद उन्होंने सूरजपुर में जिला चिकित्सालय से जुड़े दायित्वों का निर्वहन किया,अब उन्हें सरगुजा जिले के सीएमएचओ की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अनुभव साझा करते हुए भावुक हुआ समारोह-विदाई एवं स्वागत समारोह के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने पूर्व सीएमएचओ डॉ. केडी पैकरा के साथ बिताए कार्यकाल को याद किया। अधिकारियों ने उनके कार्य करने के तरीके,समस्याओं के समाधान और टीम के साथ समन्वय को लेकर अपने अनुभव साझा किए,वहीं नवपदस्थ सीएमएचओ डॉ. प्रशांत सिंह का स्वागत करते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई ।

कार्यक्रम में डॉ. अजय मरकाम,डॉ. राजेश पैकरा, संदीप नामदेव (डीपीएम),डॉ. यशोदा मिरघा,बीएमओ डॉ. अजित दीवान,डॉ. राकेश सिंह,डॉ. अमित करकेटता,डॉ. प्रियंका शर्मा, डॉ. बंटी बैरागी,बीपीएम,सुरेश वर्मा,सतीश श्रीवास्तव एवं कंचन देवागन सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे, इसके अलावा आरएमए श्वेता तिवारी, अविनाश सिंह,जितेंद्र दुबे,उमेश गुप्ता,लक्ष्मण धारी सिंह,उपेंद्र सिंह, सुरेश गुप्ता,संजीत सिंह, शुभम अग्रवाल,संतोष साहू,मनीष शर्मा,अर्जुन सिंह एवं नितेश गुप्ता सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी भी मौजूद रहे,कार्यक्रम का सफल मंच संचालन संदीप गुप्ता,हेल्थ एजुकेटर सह सहायक मलेरिया अधिकारी द्वारा किया गया, समारोह के अंत में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पूर्व सीएमएचओ डॉ. कपिल देव पैकरा को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं तथा नवपदस्थ सीएमएचओ डॉ. प्रशांत सिंह के साथ बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया।

चक्रधर समारोह-2026 में कोरिया के आयुष नामदेव की विशेष प्रस्तुति

सियाधेश म्यूजिक बैंड के साथ 23 सितंबर को रायगढ़ के रामलीला मैदान में बिखेरेंगे संगीत का रंग

-संवाददाता-

रायगढ़/बैकुंठपुर,20 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित चक्रधर समारोह-2026 के मंच पर कोरिया जिले के युवा गायक एवं कलाकार आयुष नामदेव अपनी टीम 'सियाधेश म्यूजिक बैंड' के साथ विशेष प्रस्तुति देंगे,23 सितंबर को रायगढ़ के रामलीला मैदान में होने वाली इस प्रस्तुति को लेकर कोरिया जिले के कला एवं संगीत प्रेमियों में खासा उत्साह है। आयुष नामदेव के लिए यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे कोरिया जिले से चक्रधर समारोह जैसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक मंच पर अपनी टीम के साथ प्रस्तुति देने वाले कलाकार के रूप में पहचान बना रहे हैं,उनके चयन से जिले के कलाकारों और संगीत से जुड़े युवाओं में भी उत्साह का माहौल है,41वें चक्रधर समारोह-2026 का आयोजन 14 से 23 सितंबर तक किया जा रहा है,समारोह में शास्त्रीय संगीत, लोककला, नृत्य और विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं से जुड़े कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं,इसी क्रम में 23 सितंबर को आयुष नामदेव एवं सियाधेश म्यूजिक बैंड की प्रस्तुति होगी। लाइव बैंड प्रस्तुति से दर्शकों से होंगे रूबरू-आयुष नामदेव अपनी टीम के साथ गायन और लाइव म्यूजिकल बैंड की प्रस्तुति देंगे, सियाधेश म्यूजिक बैंड में विभिन्न वाद्य यंत्रों एवं संगीत विधाओं से जुड़े कलाकार शामिल हैं। मंच पर लाइव प्रस्तुति के माध्यम से दर्शकों को संगीत का अलग अनुभव देने की तैयारी की गई है,आयुष नामदेव ने चक्रधर समारोह जैसे प्रतिष्ठित मंच पर प्रस्तुति का अवसर मिलने पर इसे अपने लिए गौरव और सम्मान का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि कोरिया जिले, सरगुजा संभाग और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गर्व की बात है, उन्होंने इस अवसर को जिले के संगीत प्रेमियों और कलाकारों के लिए भी खास बताया।

कोरिया के कलाकार को बड़े मंच पर मिला अवसर-चक्रधर समारोह छत्तीसगढ़ की कला एवं सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन है,ऐसे मंच पर कोरिया जिले के कलाकार को अपनी टीम के साथ प्रस्तुति का अवसर मिलना स्थानीय कलाकारों के लिए भी उत्साहवर्धक माना जा रहा है,कोरिया से रायगढ़ तक आयुष नामदेव और सियाधेश म्यूजिक बैंड की यह यात्रा स्थानीय प्रतिभाओं को बड़े सांस्कृतिक मंच से जोड़ने का अवसर है, अब 23 सितंबर को रायगढ़ के रामलीला मैदान में होने वाली प्रस्तुति पर जिले के संगीत प्रेमियों की नजर रहेगी।

कार्यक्रम एक नजर में...

- समारोहः 41वां चक्रधर समारोह-2026
- कलाकारः आयुष नामदेव
- टीमः सियाधेश म्यूजिक बैंड
- प्रस्तुतिः गायन एवं लाइव म्यूजिकल बैंड
- दिनांकः 23 सितंबर 2026
- स्थानः रामलीला मैदान, रायगढ़
- आयोजन अवधिः 14 से 23 सितंबर 2026

एसपी योगेश कुमार पटेल ने किया थाना अजाक का वार्षिक निरीक्षण

वेशभूषा और टर्नआउट का लिया जायजा,अधिकारी-जवानों की समस्याएं सुनीं अभिलेखों को अद्यतन रखने और लंबित कार्यों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश

-संवाददाता-

सूरजपुर,20 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। पुलिस अधीक्षक सूरजपुर योगेश कुमार पटेल (भापुसे) ने शुक्रवार को थाना अजाक का वार्षिक निरीक्षण किया,निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर,कार्यालयीन व्यवस्थाओं, अभिलेखों और पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। एसपी ने थाना स्तर पर व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखने के साथ पुलिसकर्मियों को अपने दायित्वों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करने के निर्देश दिए। वार्षिक निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने सबसे पहले थाना अजाक में पदस्थ अधिकारियों एवं जवानों की वेशभूषा और टर्नआउट का निरीक्षण किया, उन्होंने पुलिसकर्मियों की ड्यूटी तथा कार्य से जुड़ी आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने जवानों से उनकी व्यक्तिगत समस्याओं और कार्य के दौरान सामने आने वाली परेशानियों के बारे में भी जानकारी ली।

जवानों की समस्याएं सुनीं, निराकरण के निर्देश-निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने अधिकारी-कर्मचारियों से सीधे संवाद करते हुए उनकी गुजारिशें और समस्याएं सुनीं,उन्होंने पुलिसकर्मियों द्वारा बताई गई समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके यथासंभव निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए,एसपी ने कहा कि पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का निर्वहन बेहतर तरीके से कर सकें,इसके लिए कार्य संबंधी आवश्यकताओं और समस्याओं पर भी ध्यान देना जरूरी है,उन्होंने अधिकारियों को कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

रिकॉर्ड और दस्तावेजों का किया अवलोकन-वेशभूषा और टर्नआउट निरीक्षण के बाद पुलिस अधीक्षक ने थाना अजाक के विभिन्न रिकार्ड एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया, उन्होंने प्रकरणों की स्थिति, थाना संबंधी अभिलेखों और रिकॉर्ड संधारण की जानकारी ली,निरीक्षण के दौरान दस्तावेजों को अद्यतन एवं व्यवस्थित रखने पर विशेष जोर दिया गया,पुलिस अधीक्षक ने थाना स्तर पर अभिलेखों के बेहतर संधारण के निर्देश देते हुए कहा कि विभागीय रिकॉर्ड व्यवस्थित और अद्यतन रहना आवश्यक है, उन्होंने लंबित कार्यों की स्थिति की जानकारी लेते हुए उनके समयबद्ध तरीके से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पीड़ितों की शिकायतों पर संवेदनशीलता से कार्रवाई पर जोर-पुलिस अधीक्षक ने थाना अजाक के अधिकारी एवं कर्मचारियों को अपने दायित्वों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करने के निर्देश दिए,उन्होंने कहा कि पीड़ित एवं जरूरतमंद व्यक्तियों की शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ सुना जाए तथा नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, उन्होंने थाना की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ विभागीय कार्यों में अनुशासन बनाए रखने पर भी जोर दिया। एसपी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लंबित मामलों और अन्य विभागीय कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि थाना स्तर पर कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनी रहे।

वार्षिक निरीक्षण का उद्देश्य कार्यप्रणाली की समीक्षा-थाना अजाक के वार्षिक निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाना परिसर की व्यवस्थाओं के साथ-साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की, निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड संधारण, प्रकरणों की स्थिति,लंबित कार्यों और पुलिसकर्मियों की आवश्यकताओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं का जायजा लिया गया,पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट रूप से थाना स्तर पर अनुशासन, व्यवस्थित अभिलेख संधारण और जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए,साथ ही आम लोगों और पीड़ितों से संबंधित शिकायतों पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही,वार्षिक निरीक्षण के दौरान डीएसपी अजाक रीता नीलम कुजूर,थाना प्रभारी अजाक फर्दीनंद कुजूर,स्टेनो पुष्पेन्द्र शर्मा एवं रीडर विकास सिंह सहित थाना अजाक के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो के खिलाफ पुलिस में शिकायत

मटकी फोड़ प्रतियोगिता के विवाद में जनपद सदस्य का नाम लेने पर बढ़ा मामला,कोतवाली पहुंची जनपद सदस्य व ग्रामीण

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,20 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। चर्चित सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो के खिलाफ अंबिकापुर के कोतवाली थाने में शिकायत की गई है। जनपद सदस्य प्रिया सिंह ग्रामीणों के साथ कोतवाली थाना पहुंचीं और सोशल मीडिया पर गाली-गलौज एवं आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि मटकी फोड़ प्रतियोगिता के दौरान दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी में जनपद सदस्य प्रिया सिंह का भी जिक्र किया गया। इसके बाद विवाद बढ़ गया। ग्रामीणों ने भी आकांक्षा टोप्पो की सोशल मीडिया पोस्ट में जनपद सदस्य का नाम लिए जाने पर नाराजगी जताई है। शिकायत मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शिकायतकर्ताओं से घटना और सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित जानकारी ली जा रही है। पुलिस पोस्ट और उसमें की गई टिप्पणियों की भी जांच कर रही है। बताया गया है कि इससे पहले भी आकांक्षा टोप्पो के खिलाफ पुलिस में शिकायत हो चुकी है। सोशल मीडिया पर नेताओं और अधिकारियों को लेकर की गई टिप्पणियों के चलते वह पूर्व में भी सुर्खियों में रही हैं।

CMYK

अंदाज अपना अपना 2 को लेकर डायरेक्टर की दो टूक सलमान-आमिर की फिल्म के सीक्वल पर आया अपडेट

निर्देशक राजकुमार संतोषी ने फिल्म अंदाज अपना अपना के सीक्वल को लेकर स्पष्टीकरण दे दिया है। 90 की कल्ट मूवी के तौर पर फिल्म अंदाज अपना अपना को जाना जाता है। सलमान खान और आमिर खान स्टारर इस मूवी के सीक्वल को लेकर लंबे समय से चर्चाओं का

बाजार गर्म है।अब इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने अंदाज अपना अपना 2 को लेकर स्पष्टीकरण दे दिया है और बताया है कि क्या भविष्य में इस मूवी का सीक्वल देखने को मिलेगा या नहीं। आइए जानते हैं कि संतोषी ने इस मामले पर क्या कहा है-

अंदाज अपना अपना 2 पर बोले राजकुमार संतोषी

हाल ही में सलमान खान और आमिर खान स्टारर फिल्म अंदाज अपना अपना के निर्देशक राजकुमार संतोषी ने समाचार एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू दिया है,जिसमें उन्होंने फिल्म की सीक्वल को लेकर बात की है और बताया है-

मैं सीक्वल बनाने में यकीन नहीं रखता आने वाली फिल्म भी एक कॉमेडी-एडवेंचर होगी और इसमें संगीत और ह्यूमर का अंदाज भी वैसा ही होगा, जैसा आपको फिल्म अंदाज अपना अपना में देखने को मिला था। फिल्म का नाम अदा अपनी अपनी है। हालांकि, इसकी कहानी और किरदारों काफी अलग होगा। अंदाज अपना अपना पहले ही बन चुकी है। मैं उसी जॉनर और उसी तरह की कॉमेडी, एडवेंचर-अदा अपनी-अपनी में नए सिरे से पेश करने की कोशिश में हूं।

इस तरह से राजकुमार संतोषी ने अंदाज अपना अपना के सीक्वल को खारिज कर दिया है। मालूम हो कि साल 1994 में सलमान खान, आमिर खान,करिश्मा कपूर,रवीना टंडन, शक्ति कपूर और परेश रावल जैसे कई कलाकारों से सजी फिल्म अंदाज अपना अपना को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। उस दौर में ये मूवी बेशक कमर्शियल तौर पर फ्लॉप रही,लेकिन आज के दौर में इसे कल्ट माना जाता है।

नहीं चली राजकुमार संतोषी की पिछली

दरअसल बीते महीने निर्देशक राजकुमार संतोषी ने करीब 3 दशक बाद अभिनेता सनी देओल संग फिल्म बंटवारा 1947 के जरिए वापसी की थी। लेकिन सनी और संतोषी की ये कमबैक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई और फ्लॉप रही। बता दें कि इससे पहले सनी देओल बतौर अभिनेता राजकुमार संतोषी की घातक,दामिनी और घायल जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज में नजर चुके थे।

शक्ति कपूर की बजाय शूट पर गए उनके भाई

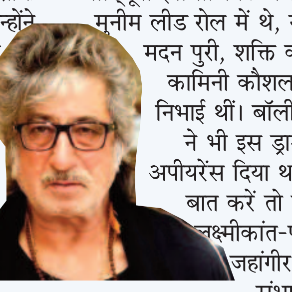

एक्टर शक्ति कपूर ने बताया कि एक बार उनकी फिल्म के प्रोड्यूसर उन्हें शूट पर ले जाने के बजाय उनके भाई को ले गए थे। जब शक्ति कपूर द कपिल शर्मा शो में आए, तो उन्होंने बताया कि जब वह बलदेव पुष्करणा की फिल्म खुदा कसम की शूटिंग कर रहे थे, तो किसी ने उन्हें सलाह दी कि उस दिन किसी खगोलीय घटना की वजह से शूटिंग न करें, इसलिए उन्होंने खुद को अपने कमरे में बंद करने का फैसला किया। उस समय शक्ति कपूर के भाई उनसे मिलने बॉम्बे आए हुए थे और जब बलदेव पुष्करणा शक्ति कपूर को शूट के लिए लेने आए, तो उनके भाई हॉल में सोफे पर आराम कर रहे थे। चूंकि दोनों भाई एक जैसे दिखते थे, इसलिए फिल्ममेकर को पता नहीं चला कि वह शक्ति कपूर नहीं, बल्कि उनके भाई हैं। सोफे से खींचते हुए बलदेव पुष्करणा ने कहा, आओ, शूट के लिए चलो। तुम यहाँ बैठकर टीवी देख रहे हो, चलो।÷ यह सब देखकर हैरान शक्ति कपूर के भाई चिल्लाने लगे,मैं वह नहीं हूँ, मैं वह नहीं हूँ। मैं उसका भाई हूँ। खुदा कसम की बात करें तो 1981 की इस ड्रामा फिल्म को लेख टंडन ने डायरेक्ट किया था। बलदेव पुष्करणा द्वारा प्रोड्यूस इस प्रोजेक्ट में विनोद खन्ना और टीना मुनीम लीड रोल में थे, साथ ही प्राण, अजीत, मदन पुरी, शक्ति कपूर, नाज़नीन और कामिनी कौशल ने अहम भूमिकाएँ निभाई थीं। बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र ने भी इस ड्रामा में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था। टेक्निकल क्रू की बात करें तो फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने दिया था, जहांगीर चौधरी ने कैमरा वर्क संभाला था और प्रभाकर सुपारे एडिटिंग डिपार्टमेंट के हेड थे। शक्ति कपूर ने 1977 में फिल्म खेल खिलाड़ी का से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद,उन्होंने इंडस्ट्री में अपने 4 दशकों के दौरान 700 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी सबसे यादगार फिल्मों में से कुछ हैं कुर्बानी (1980), हीरो (1983), हिम्मतवाला (1983),राजा बाबू (1994), अंदाज अपना अपना (1994), कुली नंबर 1 (1995) और जुड़वा (1997)।

एक्ट्रेस श्रिया सरन की सोच को सलाम स्पा स्टाफ को लेकर किया खुलासा

फिल्म 'दृश्यम' की अभिनेत्री श्रिया सरन ने अपने स्पा से जुड़े एक खास फैसले के बारे में खुलासा किया है। अभिनेत्री ने बताया कि उन्होंने अपने स्पा में सिर्फ नेत्रहीन लोगों को काम पर रखने का फैसला क्यों लिया था।

श्रिया सरन ने कहा कि उनका उद्देश्य नेत्रहीन लोगों को रोजगार का अवसर देना और उनकी प्रतिभा को पहचान दिलाना था। उन्होंने बताया कि कई बार समाज में दिव्यांग लोगों की क्षमताओं को कम करके आंका जाता है, जबकि वे कई क्षेत्रों में बेहतरीन काम कर सकते हैं। अभिनेत्री के अनुसार, स्पा और मसाज जैसे कामों में स्पर्श की समझ और अनुभव काफी महत्वपूर्ण होता है। उनका मानना था कि नेत्रहीन लोग इस क्षेत्र में अपनी संवेदनशीलता और बेहतर महसूस करने की क्षमता के कारण अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। श्रिया ने बताया कि उन्होंने इस पहल के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि किसी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति उसकी क्षमता को तय नहीं करती। सही प्रशिक्षण और अवसर मिलने पर हर व्यक्ति अपनी योग्यता साबित कर सकता है। अभिनेत्री का यह कदम सोशल मीडिया पर भी चर्चा में रहा। कई लोगों ने उनके इस प्रयास की सराहना की और इसे रोजगार के क्षेत्र में समावेशिता बढ़ाने वाला कदम बताया। श्रिया सरन भारतीय सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्रियों में शामिल हैं। उन्होंने हिंदी के अलावा दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी काम किया है। 'दृश्यम' जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। फिल्मों के अलावा श्रिया सामाजिक मुद्दों और सकारात्मक पहलों को लेकर भी अपनी राय रखती रही हैं। उनका कहना है कि समाज में सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए। नेत्रहीन लोगों को रोजगार देने की उनकी पहल यह दिखाती है कि उचित अवसर मिलने पर दिव्यांग व्यक्ति भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपनी क्षमताओं के आधार पर सफलता हासिल कर सकते हैं।

वरुण धवन ने पिता संग देखा बिग बॉस 20,सलमान खान के अंदाज की जमकर की तारीफ,नेहा धूपिया बोलीं...टाइगर जिंदा है...

बिग बॉस 20 के हालिया एपिसोड में सलमान खान ने बॉडी शेमिंग करने वाले ट्रोल्स को आड़े हाथ लिया और गलत एंगल से तस्वीरें लेने वाले पैपराजी को भी फटकार लगाई। सुपरस्टार के इस एक्शन की नेहा धूपिया, वरुण धवन और डेविड धवन सहित कई सेलिब्रिटीज ने तारीफ की है। बिग बॉस 20 का ये वीकेंड का वार इन दिनों पर हरफ चर्चा में छाया हुआ है। शो के हालिया एपिसोड में सलमान खान एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आए। जहां उन्होंने घरवालों को रियेलिटी चेक देने के साथ-साथ एक्टर्स की बॉडी या उम्र को लेकर मजाक उड़ाने वालों को सीधे-सीधे तौर पर जवाब दिया और खूब खरी-खोटी सुनाई। साथ ही, उन्होंने पैपराजी को भी गलत एंगल से एक्टर्स की तस्वीरें और वीडियो लेने और शेयर करने को लेकर टोका और एक्टर्स से अपील की कि जब भी कोई पैपराजी उनकी गलत एंगल से तस्वीरें लें, वह उन्हें टोकने से न हिचकिचाएं। सलमान खान के इस दबंग अंदाज को देखने के बाद वरुण धवन से लेकर नेहा धूपिया तक कई सेलेब्स ने प्रतिक्रिया दी और सुपरस्टार को लेकर अपना समर्थन जाहिर किया।

सलमान खान ने ट्रोल्स की लगाई क्लास

वीकेंड का वार के इस एपिसोड के दौरान सलमान खान ने खुलकर सेलेब्स की ट्रोलिंग के बारे में बात की। उन्होंने वरुण धवन और सोहेल खान को ट्रोल किए जाने पर नाराजगी जताई और कहा, यह कहना कि भाई, आप बीमार लग रहे हैं, आपका वजन बहुत कम हो गया है - ये समझ आता है, यह चिंता जताना है। लेकिन सोहेल और वरुण का उनके लुक को लेकर मजाक उड़ाना?

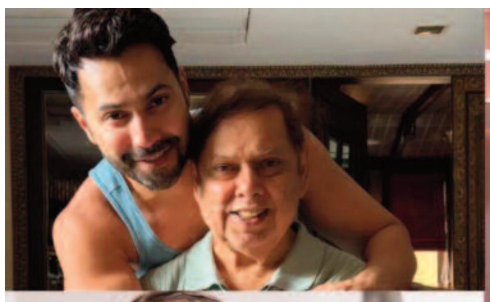

यह पूरी तरह से गलत है। दरअसल, वरुण धवन को अक्सर उनकी स्माइल के लिए ट्रोल किया जाता है, जिसे लेकर सलमान खान ने नाराजगी जताई।

वरुण धवन ने पिता डेविड धवन के साथ देखा बिग बॉस 20 का लेटेस्ट एपिसोड

वरुण धवन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बिग बॉस 20 की एक क्लिप शेयर की, जिसमें वह अपने पिता डेविड धवन के साथ बैठकर शो देखते नजर आए। वरुण धवन और डेविड धवन सलमान के इस कदम से काफी प्रभावित हुए। वरुण और उनके पिता डेविड धवन ने सलमान के इस बर्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दी। वरुण ने बिग बॉस वीकेंड का वार में सलमान के इस कदम पर अपने पिता की प्रतिक्रिया का एक वीडियो शेयर किया और साथ ही क्लैप इमोजी भी पोस्ट किया।

सलमान खान ने पैपराजी की भी लगाई क्लास

बिग बॉस 20 के हालिया एपिसोड में सलमान खान ने एक्ट्रेसेस की पीछे से और गलत एंगल से तस्वीरें लेने के लिए पैपराजी की आलोचना की। उन्होंने कहा, और फिर वे जो पीछे से शॉट लेते हैं, जो किसी भी हीरोइन को अच्छा नहीं लगता? कुछ ऐसी हो सकती हैं, जो कहें कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन, उन लोगों का क्या, जिन्हें ये पसंद नहीं है? मैंने हाल ही में देखा कि इसके चलते सई मांजरेकर को इसमें बहुत असहजता महसूस हुई, नेहा धूपिया ने भी ऐसे शॉट्स के खिलाफ आवाज उठाई। मेरी अपनी भतीजी चल रही थी, और वे पीछे से फोटो खींच रहे थे, उसके मना करने के बाद बी। और कैप्शन में क्या लिखा था? अंदाजा लगाइए कि यह कौन है? वे ऐसा करने वाले कौन होते हैं?

सलमान खान की लड़कियों से अपील

गुस्से में सलमान खान ने आगे कहा, जिन भी लड़कियों को ये पसंद नहीं है, मैं उन सभी से ये कहना चाहता हूं कि जहां भी ऐसा हो, घूमकर उन्हें थप्पड़ मारो। उनसे कहो कि अपनी मां-बहनों की ऐसी फोटो खींचें और तुम्हें दिखाएं। घटिया लोग। वे हर फंक्शन,हर जगह ऐसा ही करते हैं। नेहा धूपिया ने भाईजान के इस दबंग अंदाज और महिलाओं के लिए आवाज बुलंद करने के लिए तारीफ करते हुए कहा टाइगर जिंदा है... और सलमान की बात की सराहना करते हुए उन्हें टैग किया।

बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट

6 सितंबर को ही बिग बॉस 20 का प्रीमियर हुआ, जिसमें सलमान खान ने 16 कंटेस्टेंट्स का स्वागत किया। मैरी कॉम, माही विज, आम्रपाली दुबे, अरिश्फा खान, अमन गांधी, काजी अहमद तौकीर, कुशल तंवर (गुल्लू), हर्ष मचारे (यंग डीसीए), ईशा रिखी, रोहेद खान, रिति तिवारी, आसिफ खान, तन्मय सिंह (स्काउट) और कनिका मान ने बतौर कंटेस्टेंट बिग बॉस 20 में एंट्री ली है।

खेल-समाचार

पहले दिन भारत ने जीते दो सिल्वर मेडल, सुचिका तरियाल ने भी एक पदक किया पक्का

नई दिल्ली,20 सितम्बर 2026। एशियन गेम्स में भारतीय एथलीट में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है,जिसमें शूटिंग के इवेंट में अब तक 2 सिल्वर मेडल जीतने में सफलता मिली है।

एशियन गेम्स 2026 के पहले दिन भारतीय एथलीटों ने शानदार शुरुआत करते हुए देश का नाम रोशन किया। जारी टूर्नामेंट के पहले दिन भारत ने निशानेबाजी में दो सिल्वर मेडल अपने नाम किए, जिसमें स्टार शूटर इलावेनिल वालारिवन का बड़ा योगदान रहा। इलावेनिल ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद के साथ मिलकर भारत को पहला रजत पदक दिलाया। इसके बाद व्यक्तिगत स्पर्धा में भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दूसरा रजत पदक जीता। शूटिंग के अलावा अन्य खेलों में भी भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को एकतरफा सेमीफाइनल मुकाबले में हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जिससे भारत का कम से कम रजत पदक पक्का हो गया है। इसके साथ ही हॉकी में भारतीय महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 और पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 के अंतर से हराकर धमाकेदार जीत दर्ज की। मिक्सड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तरियाल ने सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए एक और पदक पक्का कर दिया है, जबकि बैडमिंटन में पीवी सिंधु की अगुआई में महिला टीम ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। कुल मिलाकर एशियन गेम्स का पहला दिन भारतीय एथलीट के लिए सफलता और उम्मीदों से भरा रहा।

टेकबॉल में भारतीय टीम के हाथों लगी निराशा

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय टीम को 20 सितंबर को टेकबॉल के इवेंट में मेडल की उम्मीद थी,लेकिन काफी निराशा का सामना करना पड़ा। टेकबॉल में क्रिंसी डिसूजा विमेंस सिंगल और मिक्सड डबल्स कैटेगरी के ब्रांज मेडल तक पहुंची थीं, लेकिन दोनों मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। टेकबॉल में क्रिंसी डिसूजा को विमेंस सिंगल्स में हार का सामना करना पड़ा। क्रिंसी डिसूजा को ब्रांज मेडल मैच में जापान की खिलाड़ी के खिलाफ अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन इसे बरकरार नहीं रख पाईं। युइना साकामोतो ने उन्हें 12-11,12-11 के अंतर से हराया।

एशियन गेम्स में आज वुमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में दो सेमीफाइनल मैच खेले गए। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर श्रीलंका ने फाइनल में अपनी जगह पक्की की। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब 22 सितंबर को गोल्ड मेडल मैच में भारतीय टीम का सामना श्रीलंका से होगा। वहीं पाकिस्तान की टीम ब्रॉन्ज मेडल के लिए बांग्लादेश से भिड़ेगी।

क्वाटर फाइनल में पहुंची भारतीय महिला बैडमिंटन टीम

इचिनोमिया,20 सितम्बर 2026। भारत ने महिला बैडमिंटन टीम इवेंट के राउंड ऑफ़ 16 में कजाकिस्तान को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। क्कू सिंधु और उन्नति हुड्डा के शुरुआती दो मैच सीधे गेम में जीतने के बाद, तन्वी शर्मा ने डायना नामेनोवा को हराकर जीत का सिलसिला पूरा किया। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत का मुकाबला मंगलवार को जापान से होगा, जिसे पहले राउंड में बाय (सीधे अगले राउंड में प्रवेश) मिला था। सेमीफाइनल में जीत से मेडल पक्का हो जाएगा। दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट सिंधु ने 24 मिनट में कामिला स्मागुलोवा को आसानी से 21-7, 21-9 से हराकर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद उन्नति ने भी शानदार खेल दिखाते हुए 22 मिनट में एलिसा कुलेशोवा को 21-7, 21-10 से हराकर भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट तन्वी ने डायना नामेनोवा को सिर्फ 19 मिनट में 21-5, 21-10 से हराकर जीत पूरी की। क्वार्टर फाइनल में जापान से मुकाबले में कुछ कड़े सिंगल्स मैच देखने को मिल सकते हैं, जिसमें क्कू सिंधु का सामना अकाने यामागुची से और उन्नति हुड्डा का मुकाबला टोमोका मियाज़ाकी से हो सकता है। डबल्स में, ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना जापान की बेहतरीन जोडियों से हो सकता है, जिनमें युकी फुकुशिमा-मायु मात्सुमोतो और की नाकानिशी-सुजु इवाना शामिल हैं। भारतीय महिला टीम ने एशियन गेम्स में अब तक सिर्फ़ एक टीम मेडल जीता है - 2014 इंचियोन गेम्स में ब्रॉन्ज़ मेडल। 2023 के एडिशन में, भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड से 0-3 से हारकर बाहर हो गई थी। आखिर में,पिछली बार सिल्वर मेडल जीतने वाली पुरुष टीम सोमवार को राउंड ऑफ़ 16 में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी।

पनामा ब्राजील और उरुग्वे से भिड़ेगी भारतीय फुटबॉल टीम

नई दिल्ली,20 सितम्बर 2026। भारतीय फुटबॉल टीम के लिए आने वाला समय बेहद खास होने वाला है। टीम को अपने घरेलू मैदान पर पनामा,ब्राजील और उरुग्वे जैसी मजबूत अंतरराष्ट्रीय टीमों के खिलाफ खेलने का मौका मिलने जा रहा है। इन मुकाबलों को लेकर भारतीय खिलाड़ियों में उत्साह है,लेकिन डिफेंडर आकाश मिश्रा का कहना है कि मैच शुरू होने के बाद खिलाड़ियों को विरोधियों की प्रतिष्ठा भूलकर सिर्फ अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना होगा। आकाश मिश्रा के मुताबिक,इन मुकाबलों से भारतीय टीम को दुनिया की शीर्ष फुटबॉल टीमों के खिलाफ अपनी क्षमता परखने का बड़ा अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि बचपन से जिन खिलाड़ियों और

टीमों को भारतीय फुटबॉलर टीवी पर देखते आए हैं, अब उन्हीं के खिलाफ मैदान पर उतरना एक यादगार अनुभव होगा।

एशियन गेम्स 2026 से पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम तैयार

नई दिल्ली,20 सितम्बर 2026। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपने अभियान की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। टूर्नामेंट से पहले टीम के मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने खिलाड़ियों की तैयारियों, रणनीति और हालिया अनुभवों को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि टीम ने पिछले टूर्नामेंट में मिली निराशा से कई सबक सीखे हैं और अब उनका पूरा ध्यान एशियन गेम्स में बेहतर प्रदर्शन करने पर है।भारतीय टीम का लक्ष्य एशियन गेम्स में अपने स्वर्ण पदक का बचाव करना है। इस खिताब का महत्व इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि एशियन गेम्स में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफिकेशन का मौका मिलेगा।

CMYK

संघर्ष को बचाने में आखिर इतना 'संघर्ष' क्यों...

संघर्ष को बचाने में पूरा विभाग क्यों 'संघर्षरत'

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल

संसद का खाद्य कानून,लेकिन छत्तीसगढ़ में नियंत्रण किसके हाथ?

संसद ने बनाया खाद्य सुरक्षा का कानून, छत्तीसगढ़ में अधिकारों की कड़ी कितनी साफ?

एक कर्मचारी के लिए पूरा विभाग क्यों 'संघर्षरत'? नियमों से ज्यादा मजबूत है संघर्ष की फाइल?

संघर्ष की फाइल में नियमों का 'संघर्ष',आखिर किसे बचाने में जुटा खाद्य एवं औषधि प्रशासन?

नियम टूटे या नियमों की नई व्याख्या हुई? संघर्ष कुमार मिश्रा की सेवा यात्रा पर बड़े सवाल

संघर्ष कुमार मिश्रा की फाइल बनी पहेली,प्रशिक्षण से पद तक,हर कड़ी के पीछे कौन-सा नियम?

एक नाम,कई आदेश और वर्षों का 'संघर्ष',खाद्य एवं औषधि प्रशासन से मांगा हिसाब

कानून अपनी जगह,संघर्ष अपनी जगह! एक कर्मचारी की सेवा फाइल ने खड़े किए पूरे तंत्र पर सवाल

-न्यूज डेस्क-

रायपुर,20 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। खाद्य एवं औषधि प्रशासन में इन दिनों एक नाम ऐसा है, जिसके सेवा अभिलेखों की पड़ताल करते-करते सवाल केवल एक कर्मचारी तक सीमित नहीं रह जाते,बल्कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यशैली तक पहुंच जाते हैं,नाम है संघर्ष कुमार मिश्रा,सवाल यह नहीं कि संघर्ष कुमार मिश्रा ने नौकरी में प्रगति क्यों की,सरकारी सेवा में पदोन्नति और जिम्मेदारी मिलना सामान्य प्रक्रिया है,असली सवाल यह है कि उनकी सेवा यात्रा में जो-जो वैधानिक सीढ़ियां इस्तेमाल हुईं,क्या हर सीढ़ी के नीचे नियमों की मजबूत जमीन थी? उपलब्ध दस्तावेजों में वर्ष 2004 में तीन माह के प्रशिक्षण से लेकर वर्ष 2007 में खाद्य निरीक्षक और फिर वर्ष 2011 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में सामने आती स्थिति दिखाई देती है,दस्तावेजों में उनका मूल पद प्रयोगशाला तकनीशियन दर्ज है और 23 अगस्त 2004 से 23 नवंबर 2004 तक प्रशिक्षण का उल्लेख मिलता है, इसके बाद वर्ष 2007 की राजपत्र अधिसूचना में उन्हें खाद्य मिलावट निवारण कानून के तहत खाद्य निरीक्षक की शक्तियों के प्रयोग के लिए नियुक्त किए जाने का उल्लेख है,जबकि वर्ष 2011 की अधिसूचना में उनका नाम खाद्य सुरक्षा अधिकारी की सूची में दिखाई देता है,यानी कागजों पर कहानी कुछ यूं बनती है–प्रयोगशाला तकनीशियन ? खाद्य निरीक्षक ? खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अब सवाल यह है कि इस पूरी कहानी में नियम कहां है और अपवाद कहां से शुरू होता है?

तीन माह का प्रशिक्षण और सवालों के तीन दर्जन दरवाजे-पुराने खाद्य निरीक्षक संबंधी नियमों में निर्धारित प्रशिक्षण का महत्व था,उपलब्ध अभिलेखों में भी यह सवाल दर्ज है कि यदि खाद्य निरीक्षक के रूप में नियुक्ति तीन माह के प्रशिक्षण की पात्रता से जुड़ी थी तो यह देखना आवश्यक है कि प्रशिक्षण कहां हुआ,किसके नियंत्रण में हुआ,प्रशिक्षण कराने वाली संस्था को किस सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति थी और क्या उसे खाद्य निरीक्षक नियुक्ति के लिए वैधानिक रूप से मान्य माना गया था,संघर्ष कुमार मिश्रा के मामले में उपलब्ध दस्तावेज वर्ष 2004 के तीन माह के प्रशिक्षण की पुष्टि करते हैं, लेकिन प्रमाणपत्र होना और उस प्रमाणपत्र का वैधानिक रूप से पात्रता सिद्ध करना...दो अलग बातें हैं,यही वह बारीक अंतर है जिसे फाइलों में अक्सर एक लाइन में निपटा दिया जाता है,लेकिन जांच में वही एक लाइन पूरी कहानी बदल सकती है,इसलिए सवाल सीधा है प्रशिक्षण हुआ,यह मान लिया जाए,लेकिन प्रशिक्षण की वैधानिक स्वीकृति किस दस्तावेज से सिद्ध होती है? अगर स्वीकृति का आदेश है तो उसे सामने रखा जा सकता है,अगर संस्था पहले से स्वीकृत थी तो उसका आदेश दिखाइए,अगर किसी विशेष प्रावधान के तहत प्रशिक्षण को समकक्ष माना गया था तो वह प्रावधान बताइए,और अगर उस समय लागू किसी अपवाद के तहत प्रशिक्षण मान्य था तो वह अपवाद किस आधार पर लागू किया गया,यह भी स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि उपलब्ध दस्तावेज खुद यह संकेत देते हैं कि पुराने नियमों में कुछ विशेष परिस्थितियों में पुराने प्रशिक्षणों को समकक्ष मानने के अपवाद मौजूद थे, इसलिए बिना मूल अभिलेख देखे प्रशिक्षण को अवैध कहना उचित नहीं होगा, लेकिन उसकी वैधानिक मान्यता की जांच किए बिना उसे स्वतः वैध मान लेना भी उतना ही बड़ा सवाल है।

खाद्य निरीक्षक से खाद्य सुरक्षा अधिकारी-क्या पुरानी कड़ी स्वतः नई हो गई?

वर्ष 2006 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम बना और बाद में पुराने खाद्य कानूनों की जगह नई व्यवस्था लागू हुई,पुराने खाद्य निरीक्षकों को नई व्यवस्था में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने की संक्रमण व्यवस्था भी थी,लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर पुराने पदधारी की स्थिति बिना किसी जांच के स्वतः अंतिम हो गई,यहीं संघर्ष कुमार मिश्रा का वर्ष 2011 का रिकॉर्ड महत्वपूर्ण हो जाता है। उपलब्ध दस्तावेजों में वर्ष 2011 की अधिसूचना में उनका नाम खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिखाई देता है। इस तरह दस्तावेजी क्रम प्रयोगशाला तकनीशियन से खाद्य निरीक्षक और फिर खाद्य सुरक्षा अधिकारी तक पहुंचता है,अब सवाल यह है कि वर्ष 2011 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की अधिसूचना जारी करते समय विभाग ने पुराने खाद्य निरीक्षक पद की पात्रता को किस रिकॉर्ड से सत्यापित किया? क्या पुरानी नियुक्ति फाइल सामने रखी गई? क्या प्रशिक्षण प्रमाणपत्र की जांच हुई? क्या संक्रमण संबंधी प्रावधानों की शर्तें पूरी होने की पुष्टि हुई? या फिर विभागीय फाइल ने यह मान लिया कि एक बार कोई व्यक्ति खाद्य निरीक्षक बन गया तो आगे की कड़ी अपने आप मजबूत हो गई? अगर ऐसा नहीं हुआ और पूरा परीक्षण हुआ था,तो फिर उस परीक्षण की नोटशीट सार्वजनिक जांच के लिए सामने आनी चाहिए।

हाईकोर्ट रिकॉर्ड ने भी मूल पद की कहानी याद दिलाई

यह मामला केवल विभागीय फाइलों तक सीमित नहीं है,संघर्ष कुमार मिश्रा से संबंधित डब्ल्यूपीएस 5204/2012 के रिकॉर्ड में भी उनका मूल पद प्रयोगशाला तकनीशियन बताया गया है और उस समय उनके खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने का उल्लेख मिलता है,उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 26 अप्रैल 2013 के उच्च न्यायालय आदेश में याचिकाकर्ता की स्थिति को अगली सुनवाई तक परिवर्तित नहीं करने संबंधी निर्देश का उल्लेख है,इसी से जुड़ी एक आपत्ति में यह दावा किया गया है कि 26 अप्रैल 2013 के आदेश के बाद उसकी निरंतरता से संबंधित कोई अन्य आदेश उपलब्ध नहीं है और इस आधार पर मूल पद पर स्थिति बहाल माने जाने की बात कही गई है, लेकिन यह एक पक्ष द्वारा उठाया गया कानूनी तर्क है,अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं,इसकी पुष्टि पूरी न्यायिक कार्यवाही और बाद के आदेशों से ही हो सकती है,यानी यहां भी सवाल वही है—विभाग की सेवा पुस्तिका में आखिर कौन-सी स्थिति दर्ज रही और किस आदेश के आधार पर?

फिर आया वर्ष 2007...और फाइल ने नया मोड़ ले लिया-वर्ष 2007 की राजपत्र अधिसूचना इस मामले की अगली महत्वपूर्ण कड़ी है,उपलब्ध दस्तावेज में संघर्ष कुमार मिश्रा का नाम प्रयोगशाला तकनीशियन,राज्य खाद्य प्रयोगशाला,रायपुर के रूप में दर्ज होने और खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम के तहत खाद्य निरीक्षक की शक्तियों के प्रयोग के लिए नियुक्त किए जाने का उल्लेख मिलता है,यहीं से असली प्रशासनिक पहेली शुरू होती है, यदि मूल पद प्रयोगशाला तकनीशियन था,तो खाद्य निरीक्षक की जिम्मेदारी देने से पहले विभाग ने कौन-कौन से पात्रता अभिलेख देखे? क्या तीन माह के प्रशिक्षण का मूल रिकॉर्ड जांचा गया? क्या प्रशिक्षण संस्था की स्वीकृति जांची गई? क्या नियुक्ति से पहले पात्रता संबंधी कोई परीक्षण किया गया? क्या उस समय की स्थापना शाखा ने इस पर विधिवत टिप्पणी की? और यदि सब कुछ नियम के अनुसार था,तो वह पूरी नोटशीट आज कहां है? सरकारी फाइलों की खूबी यही होती है कि वे बोलती कम हैं, लेकिन बोलती हैं तो तारीख,आदेश और हस्ताक्षर के साथ बोलती हैं, इस मामले में भी जवाब बयान से नहीं, फाइल से निकलना चाहिए।

और अब आता है सबसे बड़ा सवाल...विभाग इतना 'संघर्षशील' क्यों है?-किसी कर्मचारी की सेवा स्थिति पर सवाल उठे तो सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? फाइल निकले, नियम निकले,मूल नियुक्ति आदेश निकले,प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र निकले,स्वीकृति आदेश निकले, अधिसूचना निकले, फिर पात्रता की जांच हो,लेकिन यदि किसी मामले में सवाल उठने के बाद भी विभाग का पहला स्वभाव दस्तावेज खोलने के बजाय व्यक्ति की सेवा स्थिति को बचाने का दिखाई दे,तो स्वाभाविक रूप से जनता पूछेगी आखिर संघर्ष में ऐसा क्या है कि पूरा विभाग उसके लिए संघर्ष करने को तैयार दिखाई देता है? क्या वह विभागीय प्रक्रिया का सामान्य मामला है? क्या किसी पुराने आदेश को बचाना विभाग की प्रशासनिक मजबूरी है? क्या किसी पुराने निर्णय की जिम्मेदारी आज के अधिकारियों पर आने का डर है? या फिर एक कर्मचारी की सेवा स्थिति पर सवाल उठने का अर्थ उन तमाम अधिकारियों के निर्णयों पर सवाल उठना है, जिन्होंने अलग-अलग समय में फाइल आगे बढ़ाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक व्यक्ति की फाइल खोलते ही कई अधिकारियों की फाइलें खुलने लगें? यही वह सवाल है,जिसका जवाब विभाग को देना चाहिए।

कानून बदला,विभाग बदला,लेकिन फाइल की सुविधा नहीं बदली?-खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए देश में नया कानून आया, पुराने खाद्य मिलावट कानून की जगह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम ने व्यापक वैधानिक ढांचा तैयार किया,खाद्य सुरक्षा आयुक्त,अभिहित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसे पदों और उनकी शक्तियों की व्यवस्था की गई,लेकिन सवाल यह है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद पुरानी सेवा व्यवस्थाओं को नई व्यवस्था में समायोजित करते समय क्या हर कर्मचारी की पात्रता का वास्तविक परीक्षण हुआ? अगर हुआ तो रिकॉर्ड कहां है? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? और यदि उस समय सब कुछ सही पाया गया था तो आज वही रिकॉर्ड सार्वजनिक जांच से क्यों बचना चाहिए?

खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन...एक ही छत के नीचे कितनी जिम्मेदारियां?-इस पूरे प्रकरण का एक व्यापक प्रशासनिक पहलू भी है,खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण दोनों सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं,लेकिन इनके लिए केंद्रीय स्तर पर अलग-अलग वैधानिक ढांचे और संस्थागत व्यवस्थाएं हैं, छत्तीसगढ़ में भी खाद्य सुरक्षा और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की प्रशासनिक संरचना समय-समय पर अलग-अलग पदनामों और अतिरिक्त/प्रत्यायोजित शक्तियों के साथ दिखाई देती रही है,इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त का पद कभी था ही नहीं। उपलब्ध केंद्रीय अभिलेखों में वर्ष 2019 के छत्तीसगढ़ संबंधी विवरण में स्वास्थ्य सचिव को खाद्य सुरक्षा आयुक्त तथा तत्कालीन नियंत्रक को धारा 30(3) के तहत कुछ शक्तियां प्रत्यायोजित किए जाने का उल्लेख मिलता है। वर्तमान केंद्रीय सूची में भी खाद्य सुरक्षा आयुक्त और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक के पद अलग-अलग दर्ज हैं,यानी असली सवाल पद के अस्तित्व का नहीं,उस समय किस अधिकारी के पास कौन-सी शक्ति थी,इसका है,और इसका जवाब केवल प्रत्यायोजन आदेश दे सकता है।

जिस अधिकारी ने आदेश दिया, उसके पास उस समय शक्ति थी या नहीं?

यदि वर्ष 2019-20 के आसपास किसी अधिकारी ने संघर्ष कुमार मिश्रा को खाद्य सुरक्षा संबंधी क्षेत्रीय कार्य सौंपा था, तो यह देखना आवश्यक है कि उस समय वह अधिकारी खाद्य सुरक्षा आयुक्त की शक्ति से अधिकृत था या नहीं, क्या उनके पास विधिवत प्रत्यायोजित शक्ति थी? क्या आदेश में उसका उल्लेख था? क्या संबंधित आदेश खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जारी हुआ था? और यदि शक्ति किसी दूसरे अधिकारी के पास थी तो आदेश जारी करने वाले अधिकारी को वह अधिकार किस आदेश से मिला? यहां किसी अधिकारी को दोषी घोषित करना उद्देश्य नहीं है, अधिकार की वैधानिक कड़ी का दस्तावेजी परीक्षण ही असली मुद्दा है।

एक नाम की फाइल,लेकिन सवाल पूरे तंत्र का...

इस पूरे मामले को केवल संघर्ष कुमार मिश्रा की व्यक्तिगत सेवा यात्रा मानना शायद अधूरा होगा,क्योंकि यदि प्रशिक्षण सही था–तो दस्तावेज सामने आएं,यदि नियुक्ति सही थी–तो नियुक्ति फाइल सामने आए,यदि खाद्य निरीक्षक के रूप में शक्तियां सही ढंग से दी गई थीं–तो अधिसूचना और पात्रता रिकॉर्ड सामने आए,यदि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में संक्रमण पूरी तरह नियमसम्मत था–तो संबंधित अधिसूचना और सत्यापन रिकॉर्ड सामने आए,यदि बाद में किसी अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा संबंधी आदेश जारी किया–तो उसके अधिकार का स्रोत सामने आए,फिर विवाद खत्म, लेकिन यदि इन सवालों के जवाब में हर बार नई फाइल,नया तर्क और नई व्याख्या खोजनी पड़े,तो सवाल और बड़ा होगा कि आखिर मूल रिकॉर्ड में ऐसा क्या है जिसे स्पष्ट करने में इतनी प्रशासनिक मशक्कत लग रही है?

संघर्ष मिश्रा की सेवा यात्रा : फ्लो चार्ट सारणी

क्रमांक	वर्ष/अवधि	पद / स्थिति	सेवा में बदलाव / आधार	टिप्पणी
1	प्रारंभिक नियुक्ति	प्रयोगशाला सहायक (Lab Assistant)	अनुकंपा नियुक्ति से सेवा प्रारंभ	सेवा की शुरुआत
2	2004	प्रयोगशाला तकनीशियन (Lab Technician)	पदोन्नति द्वारा प्रयोगशाला तकनीशियन बने	इस पद पर लगभग 2 वर्ष रहने का उल्लेख
3	2006	खाद्य निरीक्षक (Food Inspector)	तीन माह के प्रशिक्षण के बाद, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 के तहत खाद्य निरीक्षक के रूप में अधिसूचना	यहीं से खाद्य निरीक्षण की जिम्मेदारी शुरू
4	2011	खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officer)	खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वर्ष 2011 से खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में अधिसूचना	खाद्य निरीक्षक से खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भूमिका में परिवर्तन
5	वर्तमान	अधिसूचित खाद्य सुरक्षा अधिकारी	वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत	भविष्य की पदोन्नति के लिए अगला पद रिक्त/आरक्षित रखे जाने का उल्लेख
6	भविष्य का पद	जिला अभिहित अधिकारी (Designated Officer)	पदोन्नति की संभावित अगली कड़ी	द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी
7	इसके बाद	उपायुक्त (Deputy Commissioner)	आगे की पदोन्नति की संभावित कड़ी	प्रथम श्रेणी का पद

संघर्ष को बचाना है या व्यवस्था को बचाना है?-व्यंग्य यहीं सबसे ज्यादा चुभता है,सरकारी कार्यालय में आम आदमी यदि किसी प्रमाणपत्र में एक छोटी-सी कमी छोड़ दे तो उससे कहा जाता है...'नियम देखिए।' किसी गरीब दुकानदार के लाइसेंस में कागज कम हो तो कहा जाता है– 'प्रक्रिया पूरी कीजिए।' किसी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में एक प्रविष्टि गलत हो तो कहा जाता है– 'अभिलेख दुरुस्त कराइए।' लेकिन जब सवाल किसी लंबे समय से चली आ रही सरकारी सेवा व्यवस्था पर उठता है तो अचानक फाइलों की भाषा बदल जाती है– कहीं पुराना आदेश, कहीं संक्रमण प्रावधान, कहीं अतिरिक्त प्रभार, कहीं प्रत्यायोजित शक्ति और कहीं वर्षों पुरानी प्रक्रिया का हवाला, तब जनता पूछने लगती है नियम सबके लिए समान हैं या कुछ फाइलों के लिए नियमों की अलग व्याख्या भी उपलब्ध है? और सबसे बड़ा सवाल–क्या विभाग संघर्ष कुमार मिश्रा को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, या उन पुराने फैसलों को बचाने के लिए जिनमें संघर्ष कुमार मिश्रा की सेवा यात्रा आगे बढ़ती गई? क्योंकि यदि व्यक्ति को बचाना उद्देश्य नहीं है और केवल नियम को बचाना उद्देश्य है, तो फिर नियम और मूल अभिलेख सामने रखने में संकोच कैसा?

अब विभाग से सिर्फ पांच जवाब चाहिए,पूरे मामले को किसी आरोप या निष्कर्ष पर खत्म करने के बजाय पांच दस्तावेज ही काफी होंगे...

- **पहला:**- वर्ष 2004 के तीन माह के प्रशिक्षण की संस्था और उसकी वैधानिक स्वीकृति का मूल आदेश।
- **दूसरा:**- वर्ष 2007 में खाद्य निरीक्षक के रूप में नियुक्ति/शक्तियां दिए जाने से पहले पात्रता परीक्षण की फाइल और नोटशीट।
- **तीसरा:**- वर्ष 2011 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में अधिसूचित किए जाने का पूरा आधार और संक्रमण प्रावधानों के अनुपालन का रिकॉर्ड।
- **चौथा:**- वर्ष 2013 के बाद उनकी सेवा स्थिति के संबंध में सभी न्यायिक आदेश और उनके आधार पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई।
- **पांचवां:**- जिस अवधि में खाद्य सुरक्षा संबंधी आदेश उनके संबंध में जारी हुए, उस समय संबंधित अधिकारी के पास खाद्य सुरक्षा आयुक्त की शक्ति होने का मूल प्रत्यायोजन आदेश।

संघर्ष मिश्रा ही संघर्ष कर रहे थे,या पूरी व्यवस्था भी संघर्ष कर रही थी-इन पांच दस्तावेजों के सामने आते ही यह भी साफ हो जाएगा कि संघर्ष कुमार मिश्रा की सेवा यात्रा नियम की सीधी सड़क थी या विभागीय व्याख्याओं से बनी ऐसी सड़क, जिसमें हर मोड़ पर किसी न किसी आदेश ने रास्ता आसान किया,और तब शायद यह भी पता चल जाएगा कि इतने वर्षों से संघर्ष कुमार मिश्रा ही संघर्ष कर रहे थे,या उनके लिए पूरी व्यवस्था भी संघर्ष कर रही थी,क्योंकि अंततः सवाल किसी एक व्यक्ति को बचाने या हटाने का नहीं है–सवाल यह है कि सरकारी कानून, नियम और अधिसूचनाएं फाइल में लिखे शब्द हैं या वास्तव में प्रशासनिक निर्णयों की सीमा भी तय करती हैं।

अब सबसे बड़ा सवाल—क्या पूरी वैधानिक कड़ी कभी एक साथ जांची गई?- एक तरफ संसद का खाद्य सुरक्षा कानून है, दूसरी तरफ राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, बीच में खाद्य सुरक्षा आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक,खाद्य सुरक्षा अधिकारी और पुराने खाद्य निरीक्षकों की संक्रमणकालीन व्यवस्था है,ऐसे में किसी एक अधिकारी की सेवा-स्थिति को सही या गलत ठहराने से पहले पूरी वैधानिक कड़ी को देखना जरूरी है, संघर्ष कुमार मिश्रा के मामले में वर्ष 2004 के तीन माह के प्रशिक्षण से लेकर वर्ष 2007 की खाद्य निरीक्षक अधिसूचना,वर्ष 2011 की खाद्य सुरक्षा अधिकारी संबंधी स्थिति और वर्ष 2012-13 के न्यायालयीन रिकॉर्ड तक दस्तावेजों की यह कड़ी अब कई सवाल खड़े करती है,उपलब्ध रिकॉर्ड से इन सवालों को उठाया जा सकता है,लेकिन अंतिम निष्कर्ष तभी निकलेगा जब विभाग उस समय के मूल प्रशिक्षण अनुमोदन, नियुक्ति फाइल,अधिसूचनाएं,शक्तियों के प्रत्यायोजन के आदेश और न्यायालयीन अनुपालन रिकॉर्ड सामने रखे, यही दस्तावेज तय करेंगे कि यह केवल एक प्रशासनिक सेवा-क्रम था या उस सेवा-क्रम के पीछे कानून में निर्धारित हर अनिवार्य प्रक्रिया भी पूरी की गई थी।

20 साल की सेवा पर उठता बड़ा सवाल- आपके दिए विवरण के अनुसार,प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर लगभग दो वर्ष रहने के बाद वर्ष 2006 से खाद्य निरीक्षक और वर्ष 2011 से खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में सेवा जारी है, यानी वर्ष 2006 से वर्तमान तक लगभग 20 वर्ष खाद्य निरीक्षक/खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भूमिका में रहने का दावा इस सेवा-क्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)